Randhir Singh, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Dr. K. L.
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri J. Ramapathi
Rao, Shri Rameshwar
Rao, Shri Thirumala
Rao, Dr. V. K. R. V.
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri P. Antony
Reddy, Shri R. D.
Reddy, Shri Surendar
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Saleem, Shri M. Y.
Salve, Shri N. K. P.
Sambasivam, Shri
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Sethuramae, Shri N.
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri D. C.
Sharma, Shri M. R.
Shashi Ranjan, Shri
Shastri, Shri B. N.
Shastri, Shri Ramanand
Shastri, Shri Sheopujan
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shinkre, Shri
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Sidheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Sinha, Shri Mudrika
Sinha, Shri Satya Narayan
Snatak, Shri Nar Deo
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Surendra Pal Singh, Shri
Sursingh, Shri
Suryanarayana, Shri K.
Swaran Singh, Shri
Tarodekar, Shri V. B.
Tripathi, Shri K. D.
Tula Ram, Shri
Uikey, Shri M. G.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra

MR. SPEAKER: The result of the division is: Ayes 88; Noes—215.

The motion was negatived.

15·50 Hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FOURTEENTH REPORT

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*.]

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14 वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 22-11-1967 को पेश किया गया था, सहमत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House agrees with the Fourteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd November, 1967."

The motion was adopted.

15·51 Hrs.

RESOLUTION RE: CROSSING OF FLOOR BY LEGISLATORS—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now resume further discussion of the following resolution moved by Shri P. Venkatasubbaiah on the 11th August, 1967:—

"This House is of opinion that a high-level Committee consisting of representatives of political parties and constitutional experts be set up immediately by Government to consider the problem of legislators changing their allegiance from one party to another and their frequent crossing of the floor in all its aspects and recommends to the Govern-

ment the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy. ".

Shri P. Venkatasubbaiah might continue his speech.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have a submission to make.....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैं ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उस वक्त समय समाप्त होने के कारण उस पर मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था न अध्यक्ष जी का उस पर कोई फैसला हुआ था। जो प्रस्ताव है उस की शब्दावली को अगर आप देखेंगे तो यह आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान की धाराओं से इन का प्रस्ताव टकराता है। अगर सदन की अनुमति से वह उस में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं कि राजनैतिक दल इस के बारे में आपस में विचार करके कोई हल निकालें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस वक्त जो उस का रूप है और हमारा जो संविधान है उस में विरोध है और इस लिये वह असंवैधानिक हो जायगा क्योंकि हमारे संविधान में राजनैतिक दलों का कहीं अस्तित्व नहीं है। प्रातनिधिक लोकतंत्र के आधार पर लोक-सभा और विधान सभा का गठन होता है। राजनीतिक दल हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, उन को चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है लेकिन यह सारे काम संविधान के चौखटे में नहीं, दायरे में नहीं, बाहर किये जाते हैं। इसलिए मैं आप का निर्णय इस पर चाहता हूं कि क्या इस रूप में यह प्रस्ताव बहस के लिए आ सकता है या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Basically, the point that he has raised with reference to the Constitution, to my mind, is valid. And I would request the hon. Mover to make a suitable modification in the resolution with the concurrence of the House; after his speech is over, he could give some thought to it and put it in such a way that it will not conflict with the general tenor of the Constitution.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): Why do you not put it in the right way?

MR. DEPUTY SPEAKER: When the House debates on this resolution, we must also keep in mind the constitutional provisions regarding parties and other things, as the hon. Member has said. So, from that angle, this objection is quite valid, and I think the hon. Mover also agrees; I would suggest that he should give some thought to it after his speech is over, because we have still got a good deal of time for it. He may amend the resolution suitably with the concurrence of the House later on. Now he may make his speech.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): You have said that his objection is valid. But I would like to know what article of the Constitution is involved in this.

SHRI S. M. BANERJEE : I fully support the contention of my hon. friend, Shri Madhu Limaye. Practically, an identical resolution had been brought forward before the Chief Whips' Conference which was presided over by my learned friend, Dr. Ram Subhag Singh, and there also the same objection had been raised. If you read the resolution, what do you find, and what does the resolution suggest? May I read the Resolution? It says:

"This House is of opinion that a high level Committee consisting of representatives of political parties and constitutional experts be set up immediately by Government to consider the problem of legislators changing their allegiance from one party to another and their frequent crossing of the floor in all its aspects....."

Up to this it is all right. Then it says:

"....and recommends to the Government the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation....."

There were two suggestions made at the Whips' conference. One was whether legislation should be brought forward banning such practice. This was ruled out by the

[Shri S. M. Banerjee]

Chairman, Dr. Ram Subhag Singh. The second was whether the Representation of the People Act should also be amended to declare any seat whose occupant has crossed over to the other side as vacant. It was said that when a member crossed the floor, its hould not be considered as a casualty. So, that was dropped. Then a simple resolution was passed by all the whips including the Congress whips, who came from various States that it is after all pure and simple a political question which should be settled by mutual discussion at the political level. So, I would like to ask whether the hon. Mover would agree to have this Resolution only up to 'in all its aspects'. Let him say that first.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has mentioned that in the Whips' conference this question was raised. In the Presiding Officers' Conference recently in Delhi also, concern was expressed about the present trend of crossing floors. We discussed the matter for quite a long time; ultimate, the consensus was that it was beyond our scope to suggest any remedy. I have given some thought to this question, but before I give my ruling, I would to hear the Law Minister and others.

SHRI GOVINDA MENON : I do not want to join issue with Shri Madhu Limaye on this matter. I did not catch him completely. You have said that you agree with the validity of the objection he has raised. I would like to know what provision of the Constitution will come into conflict with the recommendation in this Resolution.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Anand): I think the point can be met if instead of the words 'representatives of political parties and constitutional experts', we put in the words 'Members of Parliament'. what objection has the hon. Mover to this? If we makes it a Committee of MPs and thereby involves Parliament and the leaders of all parties, the point can be met.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): I have gone through the Resolution, and with all respect to Shri Madhu Limaye, I see abolustely no legal or constitutional contradiction in it. Shri Limaye sometimes rakes up issues which are not at all warranted. Let him go through it again. There is absolutely no need to amend the R. P. Act or any other Act. It is so full and exhaustive from every point of view and I do not see how the Resolution comes into conflict with a provision of the Constitution or is contradictory of any other legislation. If there is a resolution to the effect that a certain committee should go into the question, they can give a report and if they recommend an amendment to the R. P. Act, we can consider it. Otherwise, it should remain as it is. It is absolutely harmless.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): Parliament has plenary power to prescribe qualifications and disqualifications not only for a person being chosen as a Member of Parliament but for those being chosen as members of State legislatures.

Therefore, there is power for Parliament to prescribe under what circumstances a person cannot continue to be a Member of Parliament or Assembly. For instance, in the Representation of the People Act we have said that if a person holds an office of profit after becoming a Member of Parliament or Legislature, he will be disqualified. Similarly, there can be a provision to the effect that if a person who is elected on the ticket of a recognised party and crosses over to another party, he will cease to be a Member. He can work out the details and word it suitably. The question here is whether there is power of Parliament to do such a thing or not. In my humble opinion, Parliament, under the Constitution, has absolute power to make legislation in this respect.

16 hrs.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : Mr. Venkatasubbaiah's resolution reads:

> ".....special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy."

This resolution, in my opinion, will come in conflict with the Constitution. The crossing of the floor by a legislator may be because he does not agree with some policy of his party, or for other reasons. But the Preamble to our Constitution mentions liberty of thought, expression, belief, faith

and worship, and article 19 also guarantees freedom of association.

SHRI RANDHIR SINGH : Freedom for immoral acts also?

SHRI E. K. NAYANAR: A man may be in one party today, the next day, in a other day, and the third day in a third party. That is crossing the floor. If we want to arrest it by law it will conflict with the provisions of the Constitution. We cannot amend or adopt special measures under the Constitution to arrest it.

श्री मधु लिमये: आप ने मेरा आक्षेप मान लिया है. तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: As I was saying, when this matter was raised at the Presiding officers' Conference, I gave some thought to it and made an observation which I may mention here. Everybody condemns this changing of allegiance, not on the ground of conscience, but for some allurement. The question that came before us was whether it was within the competence of the Presiding Officers. I said that at the present juncture we are in a transition period, we have lost a stable political equilibrium in society and political life, and that should be restored on the one side by awakening public opinion. So far as the constitutional provisions are concerned..

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Are we expected to know about your observations at this meeting?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have not followed what I have said. If you have got to say anything, please say later.

SHRI SONAVANE : We want to know the basis for starting this debate.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seat.

If we pass a pious resolution, there is no meaning, but in our Constitution there is the guarantee of fundamental rights etc. as he has pointed. That was in my mind. So, I felt that some concrete shape should be given to this resolution in consultation with the Law Minister. If you like, you can move an amendment. That would be better and serve the purpose, focussing attention on this problem and finding out some remedy. From that point of view, my first reaction was like this. That I have said.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Sir, let me make my position clear. Here, the mention of political parties has been taken objection to by Shri Madhu Limaye. (*Interruption*)

SHRI RANDHIR SINGH: Let Mr. Madhu Limaye kindly let us know what is his fundamental objection.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में कानून के जरिये या किसी विधेयक के जरिये दल परिवर्तन पर रोक लगाना संवैधानिक नहीं होगा । उस का कारण यह है । हमारे संविधान में जो धारा 81 है उस में लिखा है कि :

"Subject to the provisions of article 331, the House of the People shall consist of—
(a) not more than five hundred members chosen by direct election from territorial constituencies in the States,....."

आगे कुछ और भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वास्तव में चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधि विधान सभाओं और लोक-सभा में आ कर बैठते हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं । आप इस को बदल दीजिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर आप का प्रस्ताव हमारे संविधान को बदलने के लिये होता तब तो यह प्रस्ताव ठीक होता । लेकिन आप तो लेजिस्लेशन कह रहे हैं । इसलिये मेरी राय में जब तक यह संविधान का आधार रहेगा तब तक यहां जो लोग आयेंगे वे मतदाताओं के प्रतिनिधि होंगे, टेरिटोरियल कांस्टिटुएन्सीज के प्रतिनिधि होते हैं । राजनीतिक दलों का संविधान की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है । इसलिये दल परिवर्तन पर कानून की दृष्टि से रोक नहीं लगाई जा सकती ।

श्री रणधीर सिंह : पार्टियों को तो कुछ कर भी नहीं सकते ।

श्री मधु लिमये : मेरा यह आक्षेप है । कानून मंत्री हैं, आइवर जेनिंग्स हैं, वह बतला सकते हैं ।

SHRI K. NARAYANA RAO: My friends raised objections under article 19 (i) (*c*) of the Constitution, which relates to freedom of association. I only draw their attention

[Shri K. Narayana Rao]
and the attention of the House to article 19(4) which postulates certain restrictions which could be imposed on the freedom of association. It is based on morality. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEKER : What is the article you are referring to ?

SHRI K. NARAYANA RAO: Article 19(4). You will bear with me if I say that today the public morality has been very much smeared by virtue of the crossing the floor by representatives of the people. When the people elect a particular canditate, they will take into consideration not only the person but also the party which he represents. When a person is sent from a particular constituency to the Assembly or to Parliament, he is sent on the basis of the political programme of the party which he represents. Many of my friends know this very well. In fact, previously, there used to be a joke about the floor crossing from the Congress party. It is all happening in some contingencies.

Secondly, I fully agree with Shri Madhu Limaye that the territories are also interest ed, the territorial constituency which sends the candidates. The constituency is euqally interested in seeing that the representatives who have been sent by the particular constituency behave properly and behave with dignity and bring about results. This is a matter of political morality Parliament can bring about such a restriction.

Then, even assuming it is a question of rights which are likely to be affected, still, my submission is that the right to associate oneself with a party by going from one party to the other, say, from the Congress to the communist party, is not affected at all. The person concerned is prefectly entitled to go from one party to another. That right is not at all affected. What is affected is, he has no right to represent the earlier party, the party from which he has changed. Equally, he can convert himself from the Congress to the communist party, and he is not disabled to go and face the elcectorate on the communist party ticket. It is only remotely and indirectly that it is affected.

Thirdly, about Shri Madhu Limaye's reference to article 81, he completely ignored the fact that we are functioning in a political life. I do not think article 81 has any relevance to this matter.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJEE (Howrah): I entirely agree with the interpretation put by Mr. Limaye, because article -19(4) does not apply in this case. In West Bengal, Dr. Ghosh has become Chief Minister, one who has crossed the floor. He has not committed a moral turpitude by crossing the floor; he has done so in national interest. We feel like that. We feel that the crossing .of the floor is a disease which has to be fought in another way. If we want to strain the Constitution to suit our purpose and then forget it, that would be entirely wrong. I fully agree that so far as the Constitution is concerned, it never recognises political parties. We shall have to evolve some process by which there can be recalling of members by an amendment of the Constitution.

SHRI G. S. DHILLON (Taran Taran): On this issue, I think the opinion expressed by Mr. Limaye and Mr. Chatterji is correct. If we mention the words "political party" we bring in something which is not contained in the Constitution Some time back in Punjab we were faced with this problem and we appointed a committee which was advised by some High Court Judges, the Advocate General and many other legal luminaries. But all we could do was to recommend to the House and to the political parties at the same time to form a common, agreeable and acceptable code of conduct and not pass a legislation, which, I do not think is warranted by the provisions of this Constitution. This phenomenon of floor-crossing is a new development, which was not envisaged by the founding fathers of the Constitution. So, if, in view of the latest trends in defections and also public opinion, we do wish to give some directions to the political parties, that is possible not through routine resolutions on this subject, but only by a regular amendment of the Constitution.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): There is no quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The bell is being rung.....Now there is quorum.

SHRI BEDABRATA BARUA (KALIABOR): The constitutional position is very clear. Under the Indian Constitution, for

that matter under the British Consititution also, the legislator is not a delegate but a representative. Therefore, he has a right to exercise his conscience, however much in the name of conscience he may misuse party loyalty and all that. So, while the constitutional position is very clear, possibly without making a representative a prisoner in the hands of the party whip and introducing rigidities that would be quite acceptable for democratic functioning, we would still have to consider the basic question of defections by the appointment of a parliamentary committee, though not of this type possibly. A committee should be appointed to go into into the whole question as to how to discourage it. Perhaps it can be discouraged by making a person who changes his party loyalties not being sworn in as Minister. There would be difficulties. The whole question bristles with difficulties. I think the Resolution is in order and we can discuss it. The constitutional position is that the question of being a delegate does not arise.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have not said that it is not in order. As you rightly pointed out——I do not want to go into the details of it——in the Western countries also a lot of agitation is goging on about party caucus and party dictatorship and freedom of conscience. I may mention one case here. In Georgia, an American State, recently one elected member expressed himself against the Vietnam policy. Immediately, the party took the initiative and he was debarred by the whole House from attending the House, because of his opinion. A big debate is going on and that case is likely to go to the Supreme Court. I simply broached the issue. As Shri Barua has pointed out, it is a political disease, for which we must find out some remedy. All sections of the House and all political parties have to meet and make some recommendations. The representatives of all parties are here. We have to fight this disease so that there will be some stability in administration and the political life becomes free from the present fluid stage. I want this Resolution to be discussed. But, as it is worded..

SHRI E. K. NAYANAR: But you cannot bar crossing the floor. It will come into conflict with the provisions of the Constitution

SHRI RANDHIR SINGH: We can say:

"This House is of opinion that a high level Committee be set up immediately...."omitting "consisting of representatives of political parties....."

SHRI GOVINDA MENON : Sir, I am glad that you have said that the motion is in order and that there is nothing in the motion which prevents its discussion in the House. I am glad to hear it, because my instruction is that government should accept this motion.

SHRI S. M. JOSHI (Poona) : It is in order because it is merely a Resolution. If it is legislation, it would have been out of order.

SHRI GOVINDA MENON : As pointed out by Shri Joshi this is a Resolution, and the operative part of the Resolution says : "is of opinion that a high level Committee....be set up".

SHRI S. M. JOSHI : You may delete the rest of the words.

SHRI GOVINDA MENON : They need not be dropped. What follows is qualified by what the nature of the committee is. The nature of the committee is "consisting of representatives of political Parties". Although the Constitution does not refer to "political Parties" there is no objection to using the term "political Parties" in a Resolution. If there is any difficulty posed by article 19, it will be looked into by constitutional experts.

Then, it says:

"to consider the problem".—

the problem is also set there—and to suggest certain methods including legislation if necessary. If the legislation is to be one amending the Representation of the People Act, that amendment also is legislation. Therefore I see nothing unconstitutional in this Resolution.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJEE: What about the independents?

SHRI GOVINDA MENON: Independents do not cross the floor because an independent is Independent and continues to be independent. He may be in this chair or in that chair.

श्री मधु लिमये : आप लोग उनको लेते हैं, तब क्या होता है।

SHRI GOVINDA MENON: Shri Madhu Limaye referred, I think, to article 81 which refers to territorial representation in Parliament. Even though that is so and even though it is the constitutional right of the electors of a certain territorial constituency to return to Parliament a ertain Member, it is provided in articles 101 and 102 that still they may be disqualified and, as pointed out by Shri Row, they may cease to be Members for certain reasons. Article 102 says:

"A person shall be disqualified for being chosen as"—that is before the election——
"and for being, a member of either House of Parliament"—

that is, for continuing to be in the House. Several reasons are given for that—(a), (b), (c) and (d). Then, it says:—

(e) if he is so disqualified"—

that is, disqualified for continuing—

"by or under any law made by Parliament."

So, if Parliament can make a law—I do not say that that should be the way in which the Resolution should be brought; I do not say that because it is not said in the Resolution either and I am taking an extreme case, an extreme situation—suppose, the committee recommends that if a person elected on one ticket changes his allegiance after being elected, he should be disqualified from continuing as a Member of Parliament.....(*Interruption*)

श्री मधु लिमये : कर नहीं सकते।

SHRI GOVINDA MENON: You have pointed out the inexpediency of doing so. There is a good deal of wisdom in what you said. But what I am trying to point out is that there is nothing unconstitutional. Even if the extreme step is taken or even if the committee recommends the most extreme step, it would not go against the Constitution.

SHRI RANGA (SRIKAKULAM): While dismissing ministers you will be dismissing minorities in the legislature.

SHRI GOIBNDA MENON: Irrelevance is no answer to a point made on the Constitution.

What I am submitting is that during the last few months the country has been echoing and re-echoing with condemnation against what is happening.

SHRI S. M. JOSHI: I would like to ask one thing. I am saying it in English so that you may understand it. If you pass legislation disqualifying a Member for this, you will have to hold a fresh election and if after the fresh election the same man gets elected, what is your position?

SHRI GOVINDA MENON: I do not say that he should be disqualified and dismissed. My very extremely learned friend does not appear to have understood what I said. This is a Resolution which poses the problem and makes the recommendations to the Government to look into it, to call Members, representatives of all political parties, and constitutional experts and to suggest a solution.

SHRI MADHU LIMAYE: Drop the word 'legislation'.

SHRI GOVINDA MENON: I said, even if they suggest legislation which goes to the extreme step of suggesting that he should forfeit his membership, even then it would not be unconstitutional. If the committee is asked to make recommendations, it need not recommend legislation; it may say that legislation is not the apt solution for the problem.

What I am submitting is that to throw out a Resolution like this now on the ground of irregularity will be going against the wishes of the people today. That is why I was referring to it. This problem of crossing the floor, of defection.....(*Interruption*)

SHRI S. M. JOSHI: There is no question of the problem; talk about the remedy.

SHRI GOVINDA MENON: If you think that there is no problem, I think that there is one. That is the difficulty.

This problem was being echoed and re-echoed on the floor of this House today, yesterday and the day before and if immediately after a vote on that motion when a Member of the Congress Party who is the Secretary of the Congress Parliamentary Party brings forward a Resolution requesting Government to tackle the problem and if Government say that they are going to accept the recommendation, if at that point of time it is thrown out on the ground of irregularity etc.— I would request my friends not to oppose it. If it is not done, it will be an act which is not commendable on the part of this House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has not suggested to throw it out. What he has suggested is that we should take into consideration the whole scheme of our Constitution, not by parts. As you rightly said, it is a serious problem that we are facing. Fortunately, you have also indicated that the Government is going to accept his suggestion keeping in view the seriousness of the situation. Then, the only suggestion is that it should be suitably modified with a view to express the wishes of all sections of the House without, specifically, saying legislation—it might be a code of conduct or anything. Therefore, what I would suggest and request the Law Minister is that if the Government is going to accept it—it is very good that the Congress Party Secretary has brought forward the Resolution; I am not ruling it out nor I am saying it is out of order—I feel, personally, it needs some modification. That is all.

SHRI GOVINDA MENON: I have understood the anxiety of the Chair to see that the Resolution which is passed in this House should be fully appropriate. But then we do not say, what should be done. There is the Committeee and the Committee may consider also the question of legislation or not. There is no mandate on the Committee. The Committee may say, "Taking all these things into consideration, it is not proper to have legislation." All these things will be there. It is all the more necessary because there have been some loose thinking on the question of defections.

Yesterday, somebody spoke about Mr. Ranga defecting from one party to another. He has not done so. Changing a political party in changed situations is not a defection A political party, in India, is not a caste, a man born Brahmin always a Brahmin, a man born Shudra always a Shudra. It is not a caste. If a person in the Congress, after sometime, thinks that the policies of the Congress are not good, he goes to another party. That is one thing. The references to Mr. Ranga were uncharitable; the references to Mr. Ashoka Mehta were similarly so. Mr. Ashoka Mehta was a member of the P.S.P. and he thought, in the situation which prevailed in the country then he should leave the P.S.P. and join the Congress. If it did not suit you, it does not mean he did anything wrong. Similarly, Mr. Ranga was a prominent member of the Congress. I am very sorry he left the Congress. But there is nothing wrong, nothing immoral. He felt that the policies of the Congress Party were not suitable and he went to another party.

Sir, it will be good if a Committee is appointed so that these things will be clarified. What is objected to is changing a political party every other day with ulterior motives for toppling Governments. Whether Congress did it or any other Party did it let us now take stock of the situation. There is loose thinking about the defections. Yesterday, Mr. Chatterjee referred to Dr. P. C. Ghosh. He was not elected to the Assembly on the United Front ticket. He was elected as an Independent and after elections, as a post-election process, some people got together. Why I say this is that there is a good deal of loose thinking about that. For that also, this Committee will be good. This is not intended to stifle opinion. As I pointed out, in article 19, there are exceptions provided. So, let us go with this Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am entirely in agreement with your observations. This morning also, I felt about Mr. Ashoka Mehta that he was canvassing opinion for two years, extending the area of cooperation and then he failed to convince the party.

श्री मधु लिमये : 10 साल, दो साल नहीं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: About Mr. Ranga also, I felt the same way. When a political situation and a socio-economic situation changes, a person may change his political party. That is there. Your

[Mr. Deputy Speaker

observations are quite relevant. My submission is that you just try to make it more coherent so that it will be all right.

Mr. Venkatasubbaiah may begin his speech.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका निर्णय चाहता हूं । इसी लिये यह रखा है कि रिकमेन्ड के बाद·····

MR. DEPUTY-SPEAKER: A suitable substitute motion will come.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I am prepared to add , "if necessary".

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is prepared to accept a suitable substitute motion.

SHRI S. M. BANERJEE: With your permission, I wish to move the following substitute motion:

"That this House, having considered the serious danger to Parliamentary democracy on account of frequent floor crossings by legislators, recommends to all political parties to evolve a common code to stop such practices."

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: As I said, I am prepared to add, "if necessary".

SHRI S. M. BANERJEE: Please hear me. I wish to move a substitute motion. If he is rigid, I will also be rigid.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not rigid at all.

SHRI RANDHIR SINGH : After 'suitable legislation', the words 'if necessary' may be added.

SHRI S. M. BANERJEE: We have objected to it in the past in the Whips' Conference. There should be no question of bringing in any legislation. That is why I have moved:

"That this House, having considered the serious danger to Parliamentary democracy on account of frequent floor crossings by legislators, recommends to all political parties to evolve a common code to stop such practices."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us have the discussion now. He may submit his amendment later.

श्री मधु लिमये : मैं तरमीम दे रहा हूं कि इस हिस्से को आप आउट आफ़ आर्डर करार दीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is nothing out of order.

श्री मधु लिमये : लेजिस्लेशन का उल्लेख उस में नहीं होना चाहिए । आप इस को आउट आफ़ आर्डर नहीं करार दे रहे हैं । लेजिस्लेशन अल्टरावायर्स है यह मेरी राय है जो आप की राय हो वह दे दीजिये और खत्म कीजिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banerjee, let us have a discussion and then a suitable amendmnet, if it is there, can be moved. I do not think that there would be any difficulty in that. Today let us focus the attention of this country through this House on this major problem. I am very glad that Mr. Menon has already indicated that Government is going to accept it.

SHRI E. K. NAYANAR : I want to know one thing. I want to know whether this Resolution will come in conflict with our Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As I said, I do not think *per se* it comes in conflict. I have also felt that looking to the scheme of things, it needs modification. That was my observation. A suitable amendment will come.

Mr. Venkatasubbaiah may start.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I am highly thankful to you for having at last allowed me to speak on my Resolution. At the outset, I would like to thank the Government for having expressed the opinion that they would accept this Resolution.

श्री मधु लिमये : पहले से तय करके आये हैं, ठीक है ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Mr. Limaye is capable of doing such things.

श्री मधु लिमये : इतना गुस्सा मत होइये मैं ने मज़ाक में कहा है ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Now the Resolution is before the House. This menace of crossing floors very often by the legislators has assumed such an importance that it has not only caught the imagination of the legislators or the political leaders, but the entire public. In this connection, I have

no doubt in my mind that all the political parties will subscribe to this view that this menace must be put an end to so that Parliamentary democracy in this country is saved.

16·35 hrs.

[SHRI S. M. JOSHI *in the Chair*].

Defections are done in several ways. They have been elected on a particular party's symbol. If defections take place in a large measure or in a group immediately after Elections, for a political benefit or for sharing the office of the ministerial post, it is really contrary to the political ethics and morals. Sir, sometimes defections may also happen when some members of the ruling Party are disappointed, that they were not able to get the fishes and loaves of office. They also defect. But, with all this background, one criterion is there to guide the people and the legislators who have been elected by the people. It is only to what extent these legislators who have been elected, were able to carry the mandate of the people of their constituencies from which they have been elected. If this tendency of crossing of the floor is not checked in time, I have no hesitation to say that it will corrode into the political decency and morality of our country. Unless there is some moral standard or a code of conduct guiding our parliamentary life, or unless some healthy convention in this regard is developed, parliamentary democracy cannot be expected to succeed. This may well create a situation similar to that which prevailed in France a few years ago, and in a country like ours which is bigger in its magnitude and its problems, the consequences will be more disastrous.

We have to remember that elections are now fought, not on individual merits of a candidate, but on party tickets, party policies and programmes except in the case of those who specifically stand as Independents. With rare exceptions, the electors vote for Parties and not for candidates. In respect of Party candidates personality of the candidate often does not count at all. Then, Sir, a person from one corner of the country may stand from another corner where he may be totally unknown. From this it will be apparent that when a candidate represents a Party, the vote of the electorate is for the policy and programme of that Party and it is not based on the individuality of the person. It is common knowledge that the defectors from a party would not have been elected from the constituencies from which they had come out successful had they not been given Party tickets. Apart from this, crossing of floor amounts to betrayal of the trust reposed in him by the constiutents. Recent defections and the horse trading that we witnessed in the Members' loyalty show to what degrading depths politics is being dragged at present. All enlightened persons would readily agree that a remedy must be found if we are to have a clean and healthy political growth. One remedy may be to develop a convention that a Member who changes his Party affiliation, should resign his membership and seek re-election. Of course, the convention should be rigorously enforced for all Parties in order to make it effective. An alternative remedy may be to give the right to the electorate to recall. Under the Soviet Constitution such a right has been given to the electorate, but it is understood that the right to recall has been used there for extraneous purposes. The right of recall can be a remedy worse than the disease if improperly enforced. Further, a Member who is elected from a particular constituency should feel that he is a Member who has to work for the welfare of the people in general and not for the welfare of the people of a particular constituency alone. If there is a power to recall, there is the danger of that power being used by the constituents at their slightest displeasure. Further there will be practical difficulties in finding a proper procedure for the recall. Perhaps, the best remedy may be to provide by law that if a Member changes his party affiliations, he would lose his seat in the legislature but he would be eligible to stand for re-election.

The party affiliations are not difficult to find. Every candidate, at the time of filing his nomination, has to declare the party to which he belongs. Inside the legislature also, the presiding officers have to be informed of party affiliations for arranging seating accommodation for voting purposes.

Suitable amendments can be thought of in the Representation of the People Act to check the defections. By no means can the defections that occur now-a-days be ascribed to a a *bona fide* change of political beliefs. Even in the case of such *bona fide* change it would be morally proper that the person who got elected on a particular delara-

[Sari P. Venkatasubbaiah]

tion of policy by a party goes to the electorate again with his changed outlook to see whether he is acceptable to them even after the change.

We shall perhaps be told that crossing the floor is not a new phenomenon occurring in our country. It may be said that it occurred elsewhere and the instance of Mr. Churchill could perhaps be cited. There have been many more cases of crossing of the floor. The instances of Palmerston and Gladstone may also be stated in support.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member should try to conclude now.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Could I have ten more minutes?

MR. CHAIRMAN: I am told that he has already taken a lot of time.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Earlier, it was all interrupted and I did not speak much.

MR. CHAIRMAN: He had taken about half an hour on the last occasion and now he has taken more than ten minutes.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I would require another ten minutes.

MR. CHAIRMAN: He may take another five minutes and conclude.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It would not be possible for me to finish in five minutes.

MR. CHAIRMAN: Since he has already taken more than half an hour, he may take five more minutes now and conclude.

SHRI RANGA: Half an hour is the maximum time that the Mover of a resolution normally takes.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I shall try to finish in another five minutes.

I do not want to go into the constitutional aspects of certain things prevailing in other countries. But what I want to impress upon this House is this that this is a menace that threatens the very functioning of parliamentary democracy. We have to see in what manner and how best we could come to a decision and see that this phenomenon is arrested so that parliamentary democracy may be firmly established in this country.

In this connection, I would also like to mention that during the presiding officers' conference that was held here recently in Delhi, the Speaker also had very categorically stated that to preserve political stability and parliamentary democracy in our country some suitable methods have to be evolved. Whether it is done by common consent of all the political parties, or whether a convention is established, or whether constitutional experts are asked to go into this matter, the sooner it is done, the better it would be.

When I say all these things, I am not speaking on behalf of a particular political party, but as a legislator, as a person who has been in the legislature for the last fifteen years, I speak with some sense of responsibility that in whatever party we may be, whatever be our political beliefs and affiliations, we must stick to them and be truthful to them, and it is only when we are able to acquit ourselves creditably and justify the confidence reposed in us by the electorate, shall we be able to set up a moral and ethical standard so far as the working of the legislature is concerned.

I do not want to take more time, because there are other Members who are very anxious to participate in this debate. Once again, I would make an appeal to all my colleagues here to whatever political denominations they may belong, to view this matter on a national basis and see that a healthy convention is set up.

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"This House is of opinion that a high level Committee consisting of representatives of political Parties and constitutional experts be set up immediately by Government to consider the problem of legislators changing their allegiance from one Party to another and their frequent crossing of the floor in all its aspects and recommends to the Government the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy."

There are some amendments.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

(i) *for* "and constitutional experts be set up immediately by Government" *substitute*—"be convened by the Election Commission".

(ii) *for* "in all its aspects and recommends to the Government the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy" *substitute* "which has posed a serious threat to the democracy itself, and to make suitable recommendations". (1)

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in the resolution,—

for "recommends to the Government the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy."

substitute "make recommendations in this regard". (3)

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, आज जो पार्टियां बदलने और पार्टियां छोड़ने की बीमारी है वह एक बहुत बड़ा कंटेजियन हो गई है । आज बहुत बड़े अफसोस की बात है कि मेम्बरियां बिकने लगी हैं हमारे देश में । न सिर्फ पैसे से वह बिकती हैं बल्कि वजारत का लोभ दिया जाता है । पोर्टफोलियो दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम इधर आओगे तो तुम्हें वह पोर्टफोलियो नहीं दिया जायेगा तुम्हें यह पोर्टफोलियो दिया जायेगा । उधर तुमको बेकार का पोर्टफोलियो मिला हुआ है, इधर तुमको नहर का पोर्टफोलियो मिलेगा, चूंकि तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं, अगर तुम इधर आओगे तो इस महकमे के साथ 40 या 50 हजार रुपया मिलेगा । यह कलंक है हमारे देश पर । यह वह देश है जो रूहानियत में, जो एख्लाक में, जो चलन में, आला आदर्श में, नस्बुलऐन में, दुनिया में एक मिसाल हुआ करता था, जिसने दुनिया को एक मिसाल पेश की, जिसमें हजारों साल बड़े-बड़े ऋषि मुनियों के जरिये वेद लिखे गये, मनुस्मृतियां लिखी गईं, और बाहर के देशों ने उनका मुताला किया और हिन्दुस्तान के बदौलत अपनी तरक्की की । हजारों साल पहले इस देश में लोग गीता पढ़ते थे । जिस देश में आदमी किसी बात की लालच नहीं करता था, वहां आज डंगरों और ढोरों की तरह आदमी पैसों में बिकता है ।

मैं शुक्रिया अदा करता हूं श्री वेंकटासुब्बया का जिन्होंने यह तवारीखी, निहायत बामौका और अहम रेजोल्यूशन पेश किया । मैं जानता हूं कि सारे लोग मुत्तफिका तौर पर इसकी रिपोर्ट करेंगे । मैं निहायत दुःख के साथ देखता हूं किसी पार्टी को, जिसमें डिफेक्शन्स हुए । राजस्थान में हुकूमत क्या बनी, क्या नहीं बनी, मैं नहीं जानता हूं । डिफेक्शन्स हुए, मध्य प्रदेश में, हुकूमत बदली । डिफेक्शन्स हुए यू० पी० में, डिफेक्शन्स हुए पंजाब में, काश्मीर में, मणिपुर में और आखीर में मेरी बदकिस्मत स्टेट में, जिसे मैं सबसे ज्यादा बदनाम स्टेट, लेकिन बहादुर स्टेट, जानदार स्टेट समझता हूं, जहां कि सिपाही दुनिया में शानदार हैसियत रखते हैं । जहां के बैल विक्टोरिया क्रास लाते थे । आपको ताज्जुब होगा कि हिसार के बैल विक्टोरिया क्रास जीते । जहां के बैल इतने बहादुर, वहां के आदमी आपने देखे । हमारे आदमी काश्मीर में, हमारे आदमी चुम्बी घाटी में, हमारे आदमी चीन के खिलाफ लड़े हैं और बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं .....

SHRI RAJARAM (Salem) : In defections also, Victoria Cross has been given to you.

श्री रणधीर सिंह : मेरे भाई राजा राम जी ठीक कहते हैं । मैं उनके साथ सहमत हूं । वाकई में डिफेक्शंज का जहां तक ताल्लुक है वे विक्टोरिया क्रास और महावीर चक्र पाने

[श्री रणबीर सिंह]

के अधिकारी हैं। मेरा तो इस तरह की घटनाओं को देख कर सिर शर्म से झुक जाता है। मैं जब सुनता हूं कि आया राम की बीस हजार और गया राम की चालीस हजार कीमत है तो वाकई मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है।

मेरे फाजिल दोस्त ने जिक्र किया है रिप्रिजेंटेशन ऑफ दी पीपल एक्ट में इसके बारे में प्राविजन होना चाहिये। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि और देशों में इस तरह का प्राविजन है। रूस का संविधान दुनिया के देशों के संविधान से सबसे छोटा संविधान है। मुझे याद है क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था, उसमें रिस्वत का प्राविजन अब भी है। कोई बदमाशी करे या मैंडेट इलैक्टर्ज का ले कर जाए और जा कर चोला बदले, वहां जाकर पैंतरा बदले, खरीद में आ जाए तो रशियन कांस्टीट्यूशन में उसको रिकाल किया जा सकता है। दुनिया के देशों की कांस्टीट्यूशन्स में वह प्राविजन मौजूद है। यह कोई नई बात नहीं है।

जिस तरह की घटनायें घट रही हैं इनसे हमारे देश के चलन पर, हमारे इखलाक पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। विदेशों के लोग सोचते होंगे कि यह कैसे डेमोक्रसी है जहां मेले लगते हैं, जहां पैसे से आदमी खरीदे जाते हैं, जहां एम० एल० ए० तक पैसे से खरीदे जाते हैं। आप मानें या न मानें मुझे तो यह चीज बहुत ही बुरी लगती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मैम्बर्ज पर भी अब शक की निगाहें होने लगी हैं, सब पर होने लगी हैं, चाहे वे कांग्रेस के हों या अपोजीशन के हों। लोग कहने लग गए हैं कि लंका में सारे के सारे बावन गज के। चाहे छोटी स्टेट के हों या बड़ी स्टेट के हों, जहां एम० एल० ए० ऐसे आदमी होंगे वहां अगर एम० पी० भी वैसे हो जाएं तो क्या आश्चर्य। हमारी तरह के ही तो वे भी आदमी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रेट ब्रिटेन में दो-दो की मैजोरिटी से सरकारें चलती हैं। सिर्फ दो की मैजोरिटी से एक दो साल तक वहां वजारत चली है। लेकिन कोई जुम्बिश नहीं आई, कोई फिसलाइट नहीं आई। यहां पर चालीस-चालीस और पचास-पचास की मैजोरिटी होती है तो भी रातोंरात आदमी फिसल जाते हैं। अगली सुबह देखते हैं कि सरकार दूसरी ही आ गई है। मैं इस तरह की चीजों को कभी भी अच्छा नहीं समझता हूं। मैं इसको भी अच्छा नहीं समझता हूं कि चाहे घोष की मिनिस्ट्री हो या गिल की मिनिस्ट्री बने या पट्टम थाणु पिल्ले की मिनिस्ट्री हो पंद्रह आदमी आगे आकर मिनिस्ट्री बनायें और बाकी पीछे रहें और सौदेबाजी करें। मैं यह बात दोनों पार्टी वालों के लिए कहता हूं। यह कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इस तरह की बातों से लोगों का कान्फिडेंस घटता है और वह घटता जा रहा है। लिमये साहब से मैं सहमत हूं कि इस तरह की बातें जब होती हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, दूसरे देश वाले ही नहीं खुद हमारे देश के लोग ही, हमारी फौज वाले ही मजाक उड़ाते हैं कि यह क्या लीडरशिप है, क्या पेंदा टूट गया है और किस ओर हमारी जम्हूरियत को ये ले जायेंगे। क्या यही आदर्श हमारे एम० एल० एज० का है? मैं एम० पीज० का जिक्र नहीं करता हूं। भगवान करे ये ठीक रहें। रहेंगे, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन आप देखें कि हरियाणा और पंजाब ही क्या यह तो सारे का सारा आवा ही बिगड़ गया है, सारा देश ही बिगड़ गया है। अगर इस तरह की चीजों को माफ कर दिया गया तो इससे काम नहीं चलेगा। हरियाणा में या पंजाब में या कहीं और इसके बाद भी वही या उन जैसे आदमी ही आयेंगे, वे भी उन्हीं के भतीजे भांजे या दूसरे एम० एल० ए० आयेंगे। वहां के चाणक्य बन कर आयेंगे। ऐसे ही आयेंगे। इस वास्ते इस तरह का प्राविजन करना बहुत जरूरी है, बड़ा अहम है और यह एक तारीखी कदम होगा। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे दोस्त हैं वे सारे के सारे इस रेजोल्यूशन के

साथ रखामन्दी जाहिर करें और इस रेजोल्यूशन को युनैनिमसली कमेटी के पास भेज दिया जाए ताकि जो प्राविजन इसमें एंटीसिपेटिड है उसको बना कर सरकार जल्दी से जल्दी उसको अमल में लाये।

मुझे खुशी है कि मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और वह इस मामले से कनविस्ड हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो कल करना है उसको वह आज करें और जो आज करना है उसको वह अब करें। इसको जल्दी करो। यह कौम के कारेक्टर का सवाल है, कौम की इज्जत का सवाल है, डेमोक्रेसी के चलन का सवाल है, पचास करोड़ लोगों की इज्जत का सवाल है, उसके नुमाइंदों की इज्जत का सवाल है। इसमें देरी की गई तो सबका नुकसान होगा।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं वेंकटासुब्बया साहब का बड़ा मशकूर हूं और उनको इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए मुबारिकबाद पेश करता हूं। इस रेजोल्यूशन को लाकर उन्होंने मौलिकता का काम किया है। भारतीय नैतिक सूत्र को कायम रखने के लिए उन्होंने यह बहुत ही सुन्दर रेजोल्यूशन पेश किया है। मैं अपने बड़े भाई रणधीर सिंह जी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही जोरदार शब्दों में इसका अनुमोदन किया है।

भारत की कितनी ऊंची परम्परा रही है, इसको आप देखें। मानव धर्म शास्त्रकार यह कहता है कि शराबी को वोट देने का हक नहीं होना चाहिये, झूठ बोलने वाले को वोट देने का हक नहीं होना चाहिये, अश्लील गाने सुनने वाले को, अश्लील गाने जो गाता है उसको वोट देने का हक नहीं होना चाहिये। जिस भारत में इतनी ऊंची परम्परा रही है वहां कुछ रुपया लेकर आदमी ईमान बदल जाए यह बहुत बड़ी लज्जाजनक बात है। इस डेमोक्रेसी में मुझे आज तक शालीनता से वास्ता पड़ा है। बड़े से बड़े वजीर के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा है। मैंने कभी नहीं देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसी कलैक्टर ने या किसी कमिश्नर ने बदले की भावना से काम किया हो या मेरे साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट किया हो या जितनी वजीरों से मेरा संघर्ष हुआ है उन्होंने कहीं मुझे अंडरवेल्यू किया हो। मैं शालीनता, सज्जनता और सौष्ठव के वायुमंडल में रहा हूं। मैंने इसी हाउस में मुखालिफत की थी जब विद्या चरण शुक्ल जी के खिलाफ कहा गया था कि इन्होंने मुखालिफ पार्टी का जब जलसा हो रहा था तो उस पर लाठियां चलवाई। मैंने खड़े होकर इसकी मुखालिफत की थी और इसलिए की थी कि हमारे जनतंत्र के रखवालों के दिल में यह खयाल हो भी नहीं सकता है कि अपने मुखालिफ के साथ वे इस तरह का सलूक करें। मैं जबरदस्त मुखालिफ रहा हूं और जो बड़ी से बड़ी मुखालिफत हो सकती है वह मैंने की है। लेकिन जिन लोगों से मेरी टक्कर हुई हैं उनसे या एडमिनिस्ट्रेशन से कभी भी एक सैकिंड के लिए भी मुझे यह आभास नहीं हुआ कि उन्होंने कहीं भी मेरे साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट दिया हो या मुझे कुछ हलका समझ कर मेरे काम में रुकावट डाली हो।

यह जो रेजोल्यूशन रखा गया है इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। यह भारत की धरातल का सवाल है। अगर मेरा ईमान कांग्रेस में हो जाए तो मैं उसमें शामिल हो सकता हूं लेकिन पहले मुझे अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिये। मेरे ऊपर किसी पार्टी का रंग नहीं है। पचास करोड़ लोगों का रंग है। मैं पक्का कांग्रेसी रहा हूं। सतरह साल मैं नजरबन्द रहा हूं। पंद्रह साल मैंने फांसी की कोठरी में गुजारे हैं। पन्द्रह साल मैं फरार रहा हूं। अंग्रेजों ने मेरा घर, मेरे बागात, मेरी जायदाद सब कुछ नीलाम कर दिया था और मुझे घर से बे घरबार कर दिया था। पन्द्रह अगस्त को मैं इसलिए कांग्रेस से अलग हो गया क्योंकि बादशाह खां के साथ

[श्री पशपाल सिंह]

गद्दारी की गई थी। गांधी जी ने हमारे साथ वादा किया था और कहा था :

> "I would not accept the partition of India even if the whole of the country were to go into flames."

लेकिन जब यह वादा पूरा नहीं हुआ उस वक्त मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं रहा। या तो हम देश के पार्टिशन के सामने सिर झुकाते या बादशाह खां का साथ देते। मैं बादशाह खां का सच्चा साथी हूं। मैं जानता हूं कि 42 साल से वह अपने वतन से बाहर हैं। 1942 से वे जेल खाने की सींखचों में आज भी बन्द हैं। उन्हें मैं संसार का महानतम पुरुष मानता हूं। मैं कुर्सी का उपासक नहीं हूं। मैं करेक्टर का उपासक हूं।

वे और होंगे मिस्ले बुलबुल आशनाएं रंगो बू
हमने दामन से न छोड़े फूल मुरझाने के बाद

मेरे दिल में बादशाह खां की पूरी इज्जत है और वही इज्जत है जो कि एक राष्ट्र निर्माता के प्रति, एक नेशन बिल्डर के प्रति होती है। अगर मुझे आज कांग्रेस के ऊपर ईमान हो जाए तो मेरी नतिकता का यह तकाजा है कि पहले मैं पार्लिमैंट की सीट से इस्तीफा दूं और उसके बाद कांग्रेस में बैठूं। हमारे संविधान के शास्त्री इस बात को कहते हैं :

> "The law is nothing but the will of the people expressed in terms of law."

जिन लाखों लोगों ने मुझे कांग्रेस का मुखालिफ समझ कर भेजा है, कांग्रेस का मुखालिफ समझ कर मुझे वोट दिये हैं उनकी अमानत में खयानत करने का हक मुझे नहीं है।

इस रेजोल्यूशन की मैं ताईद करता हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है उससे हमारे राष्ट्र निर्माताओं को अकल आएगी, गांधी जी का स्वप्न साकार होगा। आखिर हम देश के नुमाइंदे कहे जाते हैं, रिप्रिजेंटेटिव कहे जाते हैं, एम० पी० कहे जाते हैं, विधि निर्माता कहे जाते हैं। हमारा तो कम से कम करेक्टर ऐसा होना चाहिये कि हमें कोई नारा, कोई प्रलोभन कोई आतंक, कोई लालच एट्रैक्ट न कर सके, हमें अपने उसूलों से हिला न सके। इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन की पुरजोर ताईद करता हूं और माननीय सदस्य से कहता हूं कि वह इसको वापिस न ले।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मुझे ऐसा लग रहा है कि नौ सौ चूहे खाने के बाद बिल्ली हज के लिए जाने का इरादा कर रही है। फिर भी मैं समझता हूं कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं समझा जाता।

आप देखें कि कांग्रेस ने पिछले बीस वर्ष से क्या कुछ किया है। मुझे याद है 1952 में पंजाब विधान सभा में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ़ से शिमला हल्के से श्री मुनी लाल चुन कर आये थे, बड़े हरदिल-अज़ीज़ आदमी थे, बहुत अच्छा काम करने वाले थे। लेकिन कैरो साहब ने एक महकमा खोल रखा था कि जितने भी विरोधी दल के लोग हैं, उनको किसी भी कीमत पर, चाहे पैसा देकर चाहे अन्य लालच से उनकी पार्टी से बरगलाकर कांग्रेस में शामिल किया जाय। उनका ऐसा मत था कि हुकूमत तब ही चल सकती है, जब कि एक ही दल की हुकूमत हो और वहां पर इनकी कोई नुक्ताचीनी करनेवाला भी न हो, विधान सभा में दूसरे दल की तरफ़ से कोई इनकी आलोचना करनेवाला न हो। यही नीति कांग्रेस ने अनेक स्थानों पर अपनाई है और उसी का यह कारण है कि आज सारे देश में दल-बदल की बीमारी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आज जब उनके अपने ऊपर यह आघात होने लगा, यह भस्मासुर जब उनको ही खाने लगा और उनको यह दिखाई देने लगा कि इस दल-बदल से उनके अपने दल की ही हुकूमतें टूट कर विरोधी दलों की हुकूमतें बनगी तो आज वे सचेत हुए हैं और इस समस्या पर विचार करने लगे हैं। हमारे कानून मंत्री जी ने अभी कहा है कि हां, मुझे भी हिदायत मिल गई है कि इस प्रस्ताव का हमें समर्थन करना है और इसको स्वीकार करना है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर दल-बदल हुआ, उस वक्त हमारे जनसंघ के प्रधान—श्री बलराज मधोक ने सब दलों के नेताओं को पत्र लिखे थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री कामराज को भी पत्र लिखे थे कि अब समय आ गया है कि सभी विरोधी दलों के नेता इकट्ठे बैठें और मिल कर गम्भीरता से इस बात पर विचार करें। क्योंकि इस दल-बदल की नीति से देश के अन्दर ठीक प्रकार की परम्परायें कायम नहीं रह सकेंगी, पायेदार सरकार कायम नहीं रह सकेगी और इस तरह से भारत के लोक तन्त्र से लोगों की आस्था उठ जायगी। जो सदस्य चुनाव के समय एक विशेष घोषणा पत्र को लेकर, एक विशेष नीति को लेकर, एक विशेष कार्यक्रम को लेकर चुनाव के मैदान में आता है, लोगों को अनेकों प्रकार के आश्वासन देता है और कहता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार, इस नीति के अनुसार सदन के अन्दर जाकर वह आपका प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब वे किसी लोभ-लालच के कारण अपना दल-बदल करना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि उसका यह कर्तव्य है कि उस समय वह अपनी विधान सभा की सदस्यता से अथवा संसद से त्याग-पत्र दे और उसके बाद दोबारा जनता का वर्डिक्ट अपने पक्ष में ले।

मेरे भाई चौ० रणधीर सिंह बात कर रहे थे, अपनी बात कह कर वह भी चले गये—मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में चौधरी हरद्वारी लाल ने जब अपना दल छोड़ना चाहा, तो उन्होंने विधान सभा से त्याग पत्र दे दिया और दोबारा जनमत प्राप्त करके फिर से विधान सभा के सदस्य बने, विरोधी दल वालों ने तो उदाहरण पेश किया है, लेकिन क्या मेरे किसी कांग्रेस के भाई ने इस प्रकार का उदाहरण उपस्थित किया है ? आज विरोधी दल की तरफ़ से यह उदाहरण उपस्थित हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा—जिस समय श्री बलराज मधोक ने सब नेताओं को और कांग्रेस के नेता को भी पत्र लिखा, परन्तु उन्होंने सन्तोष-जनक उत्तर नहीं दिया।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस दल बिलकुल नेकनीयती से और ईमानदारी से इस प्रस्ताव में जो भावना प्रकट की गई है, और जो उद्देश्य रखा गया है, उस पर आचरण करना चाहता है उसको कार्यान्वित करना चाहता है—मुझे इसमें बड़ा भारी सन्देह है। अगर वह सचमुच नेकनीयती से इस पर अमल करना चाहते हैं तो पंजाब के लिये कामराज साहब घोषणा कर दें कि वहां पर जो डिफेक्टर लक्ष्मण सिंह गिल 16-17 लोगों के साथ अकाली पार्टी को छोड़ कर आया है, उनका दल उसका साथ नहीं देगा। परन्तु कामराज तो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं इतने छोटे से दल को हुकूमत बनाने में सहायता कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि गिल ने जो दल-बदल किया है, यह कोई अचानक घटना नहीं है। वहां यहां आकर गृह मंत्री से मिलता रहा है, वह यहां आकर कामराज साहब से मिलता रहा है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मिलता रहा है। सब कुछ इन के परामर्श से हुआ है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच इनको अपनी भूल का अहसास हुआ है, अगर सचमुच यह समझते हैं कि इससे भारत के जनतन्त्र में लोगों की आस्था उठ जायगी, सचमुच इससे स्थायी सरकारें नहीं रह सकेंगी तो उन्हें इस प्रकार के दलों को समर्थन प्रदान नहीं करना चाहिये। जहां पर आपको यह लगता है कि गैर कांग्रेसी सरकार टूटकर कोई स्थायी सरकार बन सकती है, वहां समर्थन दे सकते हैं, लेकिन पंजाब के बारे में तो आपको कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जब पंजाब गई थी तो उन्होंने पंजाब की जनता और सरकार की सराहना की थीं और उन्होंने खुद कहा था कि जिस प्रकार वहां के लोगों के अन्दर पिछले 15-20 सालों से साम्प्रदायिक भावना

[श्री श्रीचन्द गोयल]

चल रही थी, वह अब समाप्त हो गई है और सरकार ठीक प्रकार से काम कर रही है, जिसने आर्थिक दृष्टि से उन्नति की है, इसने जो काम वहां पर किये हैं, उसकी ईमानदारी की छाप, उसका प्रभाव न सिर्फ पंजाब पर बल्कि बाहर भी पड़ा है, लेकिन आज उस सरकार को तोड़ने के लिये जो मेरे भाई प्रयत्नशील हैं—उसको देखते हुए मुझे सन्देह है कि वे नेकनीयती से इस समस्या को हल करना चाहते हैं।

यहां पर इस प्रकार से कुछ भाषण देने से यह मसला हल नहीं होगा, इस बीमारी की जड़ें बहुत गहराई तक जा चुकी हैं। मैं समझता हूं कि खास तौर पर जो सत्तारूढ़ दल है, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि वह समस्या को हल करें अगर कांग्रेस दल हृदय से यह अनुभव करता है कि दल-बदल देश के लिये अनुचित है, लोक तन्त्र के लिये अनुचित है, तो वह ईमानदारी से, केवल भाषणों से नहीं, बल्कि अपने सही आचरण के द्वारा इस बात का सबूत दे। इसलिये मैं नहीं समझता कि कोई जस्टीफिकेशन है कि आप पंजाब में लक्षमण सिंह गिल की हुकूमत को समर्थन दें, बंगाल के अन्दर पी० सी० घोष की हुकूमत को समर्थन दें। इसमें मुझे कोई औचित्य या कोई शुद्ध भावना दिखाई नहीं देती।

मैं समझता हूं कि आज एक और समस्या सदन के सामने है कि क्या यह समस्या कानून में संशोधन करके हल हो सकती है राजनीतिक दल मिल कर कोई कोड-आफ़-कंडक्ट तय करें, इससे यह मामला हल होगा? मैं श्री मधु लिमये के साथ सहमत हूं कि कानून में संभव नहीं है। इसे तो राजनीतिक दल मिल कर और कोड-आफ़-कन्डक्ट तय करके ही हल कर सकगे।

जहां तक रिकाल का प्रश्न है, मेम्बर को वापस बुलाने का प्रश्न है जो मेम्बर अपने हल्के के वोटर्स के साथ गद्दारी करता है, जो कुछ वचन चुनाव के समय उनको देकर आता है, उनसे जब वह मुंह मोड़ लेता है तो नागरिकों को अधिकार होना चाहिये, उसके मतदाताओं को अधिकार होना चाहिये, कि वे उसको वापस बुला सकें और इस प्रकार का जो प्रावीजन है, उसका अपना असर होगा और इस प्रकार के जो लोग दल-बदल करना चाहते हैं, अपने लालच और स्वार्थ सिद्धि के लिये, उनके लिये रुकावट बनेगा।

जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है, इसका मैं पूरे तौर पर समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ अपने भाइयों से यह भी अपील करना चाहता हूं कि वे नेकनीयती से इस पर आचरण करने का प्रयत्न करें, केवल भाषणों तक ही अपनी बात को सीमित करने का प्रयत्न न करें।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : अध्यक्ष जी, अभी दो रोज़ पहले हरियाणा के गवर्नर साहब का जो पत्र पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें मुझे एक बात बहुत गौर करने को मिली और वह यह थी कि चाहे कांग्रेस पार्टी वहां आये या दूसरी पार्टी आये, दोनों पार्टियों में—जैसे शेर लहू-चख हो जाता है—उसी तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या विरोधी दलों के लोग हों, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, इसलिये वहां स्टेबिल गवर्नमेन्ट नहीं मिल सकेगी। मैं अपने भाइयों से यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज आप और हम सब सत्ता के पीछे भाग रहे हैं—सबसे बड़े दुख की बात यही है।

सेवा की भावना भूल गये हैं। सत्ता के पीछे जो भागेंगे सत्ता उन को मिलेगी थोड़े वक्त के लिए और फिर वह वापिस चली जायेगी। जब तक सीधी बात पर हम लोग नहीं आयेंगे वहां तक मेरे खयाल से आप और हम जो मुख्य समस्या है देश की उस में भाग रहे हैं।

मुझे शर्म आती है कि यह डिफैक्शन की कुरीति हमारे कांग्रेस के भाइयों ने शुरू की

चाहे वह बंगाल में हों, उत्तर प्रदेश में हों या मध्य प्रदेश में हों। अभी गोयल साहब जिक्र कर रहे थे कि ऐसी बातें बंद होनी चाहिएं लेकिन सच बात तो यह है कि खुद आप के दल ने मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के डिफैक्टर्स थे उन से सहकार लिया। ऐसे यह चलता रहता है। यह आप पर भी लागू होता है और हम पर भी लागू होता है। इसके लिए जब तक आप सत्ता व अधिकार का मोह छोड़ कर सेवा की भावना नहीं स्वीकार करेंगे तब तक यह काम नहीं चलेगा। सेवा की भावना हमारे और आप के बीच में से चली जा रही है। जो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन्हें हर समय बस यही चिन्ता रहती है कि किस तरीके से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करें किस तरह से अपना माल बढ़ायें। स्वार्थ की बातें हम में आयी हैं। मैं मानता हूं कि मौरेल उपदेश देने की कोई जरुरत नहीं है लेकिन इस बात पर हम सहमत होंगे कि यह जो रेजोल्यूशन माननीय सदस्य श्री वेंकटासुब्बया लाये हैं उस के लिए मैं अपना सुझाव जरूर रक्खूंगा कि यहां पार्लियामेंट के मैम्बर्स उस में शामिल किये जायं। आखिर में पार्लियामेंट के मैम्बर्स पर ही असर होगा इन बातों का। पार्लियामेंट के मैम्बर्स सब पार्टियों के इस विषय पर मिल कर तय करें ताकि कांस्टीट्यूशन में जो चेंज करना पड़ेगा वह उस से सहमत हो जायं। एक कमेटी इस के लिए बनाई जायगी और वह कमेटी पार्लियामेंट के समक्ष यह बात लायेगी पार्लियामेंट के मैम्बर्स भी उस पर बहस करेंगे और यदि आप को उसे जल्दी अमल में लाना हो तो उस के लिये पार्लियामेंट के मैम्बर्स भी उस में शामिल किये जायं यह एक मेरा सुझाव है।

सबसे बड़ी समस्या यह है जैसा कि अभी हमारे ला मिनिस्टर भी कह रहे थे कि जो इंडिपेंडेंट्स होंगे वह किसी दल में नहीं हैं वह हमेशा फ्लोर क्रोस करते रहेंगे। इंडिपेंडेंट्स के लिए आप को विचार करना पड़ेगा। मेरी समझ में आगे और अधिक लोग इंडिपेंडेंट होना पसन्द करेंगे। 50 इंडिपेंडेंट उधर चले गये या 50 इंडिपेंडेंट इधर चले जायें तो वह हुकूमत की शकल बदल सकते हैं। इसलिए यह जितने भी इंडिपेंडेंट लोग हैं उन को भी आप को शामिल करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट्स भी बहुत कुछ आज कल कर सकते हैं। इन बातों का खयाल करके मैं मानता हूं कि इस रेजोल्यूशन का जो आशय है वह यही है कि किस तरीके से लेजिस्लेटर्स इक्ट्ठा होकर ऐसा कोई नियम बनायें चाहे कांस्टीट्यूशन में चेंज करें या कोड-आफ-कंडक्ट करें। लेकिन यह दल-बदल की बात तो आगे भी जरूर होगी क्योंकि हो सकता है कि कोई आदमी जो किसी दल में शामिल हो वह उस दल से सहमत न हो तो वह उसे छोड़ सकता है लेकिन साथ ही इस बारे में यह नियम होना चाहिए कि जब वह अपने दल को छोड़ें तो उसे अपनी एम० पी० शिप या एम० एल० ए० शिप का भी त्याग कर देना चाहिए और यदि वह फिर एम० पी० या एम० एल० ए० बनना चाहता है तो वोटर्स के पास दुबारा नये सिरे से चुने जाने के लिये जाय।

मैं यह भी कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारी और आप की जो इज्जत थी देश में एम० पी० और एम० एल० ए० के नाते वह गिर गई है और उस को उठाने के लिये आप को हमारा साथ देना पड़ेगा। कांग्रेस को गालियां देने से या कांग्रेस वालों को आप को गालियां देने से बात नहीं चलेगी। मेरा यह मत है कि कांग्रेस तब तक सुधरने वाली नहीं जब तक आप एक कंस्ट्रक्टिव एप्रोच लेकर ठीक तरीके से उस में सुधार लाने की बात न करें कांग्रेस को महज गालीगलौच करने से वह सुधरने वाली नहीं है। कांग्रेस यहां रहे या न रहे लेकिन आप को ठीक तौर से इस रीति से काम करना पड़ेगा कि जिससे देश की शान, मान व प्रतिष्ठा बढ़े।

जब मैं पार्लियामेंट में स्पीचें सुनता हूं और खास कर अपने विरोधी दल वाले भाइयों की स्पीचेज सुनता हूं तो उन सब में एक ही तरह की

[श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा]

बात होती है कि कांग्रेस निकम्मी है। मुझे उन की एक ही तरह की यह बात सुन कर दुःख होता है । हमें यह नहीं भूलना है कि कांग्रेस से देश बहुत बड़ा है और देश को जब आप उठायेंगे देश की इज्जत बढ़ायेंगे तभी यह बातें आगे आयेंगी । हम और आप जो इस देश में बसते हैं वे ही अपने देश को गिरा रहे हैं । सब से ज्यादा शर्म मुझे इस पर आती है कि आप और हम इस पार्लियामेंट के अन्दर अपने देश के लोगों को और अपने भाइयों को नीचे गिरा रहे हैं। उस की जो ख्याति जगत में हजारों साल से है उस को इस तरह नीचे गिरा रहे हैं। मेरी उन भाइयों से नम्रता से प्रार्थना है कि वह कंस्ट्रक्टिव सुझाव सुधार के लिए दें। आप को यदि कांग्रेस नापसन्द हो तो उसे निकाल दीजिए। मेरी अर्ज यह है कि इस बारे में हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिए और हम हाउस के अन्दर या हाउस के बाहर मिल कर हम उस को बना सकते हैं। इस देश की तरक्की करना शान बढ़ाना आप के और हमारे सब के हाथ में है। मैं आशा करता हूं कि आप इस विधेयक को स्वीकार करके उस में नियम करके और वांछनीय बातों का खयाल करके देश की इज्जत बढ़ायेंगे।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : आज जब राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तियों के लिये एक आचार संहिता और ईमानदारी की बात कहनी शुरू हुई है तो मुझे महाभारत की वह बात याद आती है कि जब कर्ण का पहिया फंस गया था और उस ने धर्म की अपील की थी तो भगवान कृष्ण ने उस को बहुत मौके याद दिलाये थे और उस को कहा था कि कर्ण तुम्हारा धर्म उस वक्त कहां गया था कर्ण तुम्हारा धर्म उस वक्त कहां गया था। आज हम जब यह सोचते हैं कि व्यक्तियों के ऊपर कोई इस तरीके का हम को कानून बनाना चाहिए कि लोग इधर उधर दल न बदल सकें में यह समझता हूं कि व्यक्ति नहीं पकड़ जा सकते और व्यक्तियों के लिए आप कानून बनायेंगे तो उस में बहुत पेचीदगियां खड़ी होंगी। मेरी समझ में इस के लिए जरूरी है कि पहले व्यक्तियों को छोड़ कर पार्टियों को पकड़ना चाहिए, हमें दलों को पकड़ना चाहिए। पोलिटिकल आदमियों के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई कोड-आफ़-कंडक्ट हो बजाय इस के यह ज्यादा अच्छा होगा कि पार्टियों के लिए कोई कोड-आफ़-कंडक्ट बना दिया जाय।

हमारे यहां क्या होता है ? जब एलैक्शन आता है पार्टियां टिकट बांटती हैं तो क्या पार्टियां यह सोचती हैं कि जिस आदमी को हम टिकट दे रहे हैं वह हमारे सिद्धान्तों पर निष्ठा रखता है और हमारे आदर्शों को सामने रख कर व्यवहार करेगा ? आज बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पार्टियों के घोषणापत्र पढ़े होंगे। जो लोग यहां हाउस में आते हैं उन में से कितने लोग हैं जो पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ कर पार्टी के सिद्धान्तों और उद्देश्यों को देख कर टिकट लेते हैं ? आज व्यक्तियों को पार्टियों द्वारा टिकट एक ही बात देख कर दिये जाते हैं उस में एक ही भावना रहती है कि वह आदमी अमुक इलाके से क्या चुनाव जीत कर आ सकता है ? अगर जाटों का इलाका है तो किसी जाट को ही पार्टी टिकट देगी और ब्राह्मणों का अगर इलाका है तो फिर ब्राह्मण को ही वहां के लिए टिकट मिलेगा दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। उस के लिए आप किसी कांग्रेसी को नहीं लाते किसी जनसंघी को नहीं लाते आप किसी प्रजा सोशिलिस्ट वाले को नहीं लाते। पार्टी कहती है कि भाई यह तो जाटों का इलाका है और चूंकि आप जाट नहीं हैं इसलिए आप को हम टिकट नहीं दे सकते हमें तो जाट को ही यहां के लिए टिकट देना है। अहीरों के इलाके के लिए किसी अहीर को ही टिकट बांटा जाता है। कहने का मतलब यह है कि टिकट पार्टियों द्वारा शुद्ध जातिवाद के ऊपर दिये जाते हैं। इसके अलावा टिकट ऐसे लोगों को मिलते हैं जोकि काफ़ी पैसे वाले होते हैं। यह सोच कर

कि अमुक व्यक्ति चूंकि 2 लाख रुपया खर्च कर सकता है इसलिए उसे टिकट दे दिया जाता है। क्योंकि यह समझा जाता है कि वह एलैक्शन में कामयाब हो सकता है। आप तो रुपये को टिकट देने के लिए ध्यान में रखते हैं आप सिद्धान्तों और आदर्शों को लाते कहां हैं ? इसलिए मेरा सुझाव है कि बजाय इसके कि आप व्यक्तियों के लिए कोई कोड आफ कंडक्ट बनायें आप को पार्टियों के लिए कोड आफ़ कंडक्ट बनाना चाहिए।

17.16 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि आज मान लीजिये कई पार्टियों ने मिलजुली सरकारें बनाईं और उन्हीं पार्टियों में से किसी पार्टी के सदस्य उन मिलो-जुली सरकारों की निन्दा करें तो जब कल को यह पार्टियां जनता के सामने चुनाव के लिए खड़ी हों तो जनता यह फैसला कर सके कि किस पार्टी का कैसा रोल रहा है और आगे उस का क्या प्रोग्राम है उस के हिसाब से वह उस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे सके। कहने को तो हर एक पार्टी चुनाव के वक्त वोट प्राप्त करने के लिए कहती हैं कि हमार ही हाथ में देश की सुरक्षा क़ायम रह सकती है हमारे ही हाथ में देश का हित सुरक्षित है देश में खुशहाली हम ही लाने वाले हैं। फिर जब यह पार्टियां आपस में मिल कर सरकारें बनाती हैं तो ज़रूरी है कि पार्टियों के वास्ते कोई कोड आफ़ कंडक्ट हो।

इस सिलसिले में मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि सब से पहले कांग्रेस ने मुस्लिम लीग जैसी पार्टी से जिसने कि देश का बंटवारा कराया था देश की अखंडता नष्ट की थी उस मुस्लिम लीग जैसी विघटनकारी शक्ति के साथ मिल कर केरल में सरकार बनाई थी तो क्या यह कांग्रेस के लिए कोड आफ़ कंडक्ट के मुताबिक उचित होता। वह कहां का कोड आफ़ कंडक्ट था जिसके रहते कांग्रेस ने ऐसा उस समय व्यवहार किया था ? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम कोई कोड आफ़ कंडक्ट बना रहे हैं और संवैधानिक रूप से हमें सुविधा हो सकती है तो उस का एक ही तरीका है कि हम पार्टियों के लिए कोड आफ़ कंडक्ट बनायें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उसमें शिकायतें आयेंगी, मान लीजिये आज मैं चुन कर आता हूं किसी पार्टी से और आज यह हिन्दी का विधेयक लाया जा रहा है अब हिन्दी का विधेयक लाने की बात एलैक्शन के पहले नहीं थी, प्रिवी पर्स की बात एलैक्शन के पहले नहीं थी, बैंकों के नेशन्लाइज़ेशन की बात पहले नहीं थी, इन तमाम पार्टियों के मिलकर सरकारें बनाने की बात पहले नहीं थी, अब वह सारी बातें आ रही हैं, यह प्रिवी पर्स खत्म करने की बात भी नई अभी आई है, एक दो ऐसे हो सकते हैं किसी पार्टी वाले जो इस को पसन्द करते हों और वह कहते हों कि ऐसा किया जा सकता है लेकिन यह बात ठीक है कि एलैक्शन के बाद जो वातावरण पैदा हुआ है उस के आधार पर यह नई चीज़ कही जा रही है। इसी तरीके से वह हिन्दी का बिल आ रहा है। यह चीज़ भी एलैक्शन के पहले नहीं थी। नई चीज़ पैदा हुई है, नया बिल आ रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पार्टियों ने मिल कर सरकार बनाई है। एक पार्टी यह फैसला करती है कि मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं रहना चाहिए एक आदमी सोचे कि पार्टी का यह फैसला ठीक नहीं है एलैक्शन से पहले यह स्थिति नहीं थी तो वह आदमी क्या करे ?

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अगर आप कोई विधान बनाना चाहते हैं तो सारी पार्टियां बैठ कर सोचें और इस बारें मे कोई फैसला कर लें कि अगर कोई बेईमानी करेगा जो कोई इधर से उधर या उधर से इधर आयेगा हम उस को नहीं लेंगे। क्या ज़रूरत है आप को कानून बनाने की !

कई दफे ऐसी चर्चाएं देश में होती रहती हैं खास तौर से कई राज्यों में। मान लीजिये कि यह गो रक्षा की बात है, जब पहले यह गो रक्षा की बात आती थी तो देश के बड़े नेता यह कहा करते थे कि गाय को हिन्दू

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

पालते तो हैं नहीं कानून बनाने की बात करते हैं। और अगर गाय पालने लगे तो कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो सामाजिक सुधार हैं, नैतिकता की बातें हैं, यह अकेले कानून से नहीं बदली जा सकतीं।

इस लिये मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार का निश्चय अगर सारी पार्टियां कर लें तो कानून बनाने की कई आवश्यकता नहीं रहेगी। पार्टियों को अपनी आचार संहिता बनानी चाहिये और पार्टी लेवेल पर आचार संहिता का बड़ी सरलता और सुविधा से पालन किया जा सकता है। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि इस के लिये कोई इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाय, इस प्रकार का कोई लेजिस्लेशन बनाया जाये। मैं तो यह कहता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां बैठें और बैठ कर एक आचार संहिता बनायें। वह फैसला करें कि बेईमान जो लोग इस तरह लालच में फंस कर हिन्दुस्तान में दल परिवर्तन करेंगे उन को किसी पार्टी में नहीं लिया जायेगा, उनका सोशल बायकाट किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आजाद मेम्बरों के बारे में क्या किया जाये ?

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : आजाद मेम्बरों के ऊपर भी वही बात लागू होती है। अगर आजाब मेम्बर चुने जाने के बाद किसी पार्टी में जाना चाहे तो सारी पार्टियों के दरवाजे उस के लिए बन्द होने चाहियें। जो आदमी लाखों लोगों से कोई बात कह कर आता है और आने के बाद उस के विपरीत आचारण करता है तो उस के लिये भी किसी पार्टी के दरवाजे खुले नहीं रहने चाहियें।

एक माननीय सदस्य : आजादी सब के लिये है या नहीं ?

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : आजादी तो है, लेकिन जब एक आदमी एलेक्शन लड़ कर आता है और वायदे कर के आता है, और आने के बाद उसके विपरीत आचरण करता है तो उस को इस की आजादी नहीं होनी चाहिये। लेकिन इस के साथ एक बात और है कि अन्य पार्टियों वाले भी उस को लालच न दें। इसी लिये मैं कह रहा हूं कि पार्टियों को एक कोड आफ कांडक्ट बनाना चाहिये। कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस के लिये आचार संहिता काफी है। यह सामाजिक बर्ताव का सवाल है। अगर हमारा सामाजिक बर्ताव इस प्रकार का होगा तो सब लोगों को उसे रोकना होगा। मैं आप को बतलाऊं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक जगह पर जा कर एक पार्टी, विशेष के साथ राय दी। लेकिन उन के गांवों में आने की बात जब लोगों ने सुनी तो उन्होंने ऐसा रुख अख्यार किया कि अगर वह आदमी गांवों में आयें तो वहां घुस न सकें। आज जनता उठ रही है। अगर लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो जनता अपने आप उन की चिकित्सा करेगी। तो व्यक्तियों को तो आप जनता के ऊपर छोड़िये, हां, पार्टियां अपने लिये कोड आफ कांडक्ट बनायें और किसी भी भ्रष्टाचारी के लिये अपने दरवाजे न खोले। एक तरफ तो कोड आफ कांडक्ट की बात की जाये और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को छातियों से लगाया जाय तो क्या यह नैतिकता की बात है ?

इस लिये अन्त में मैं सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि वह मेरे सुझाव पर ध्यान दें कि इस के लिये कोई कानून बनान की आवश्यकता नहीं है, तमाम पार्टियों को मिल बैठ कर निचश्य करने की आवश्यकता है।

श्री शशि भूषण बाजपेयी (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के समय में जो दल-परिवर्तन का विचार चला है और जिस तरह से हम उसको अमल में देख रहे हैं, उसको देखते हुए इस प्रस्ताव को पास करने की बड़ी आवश्यकता है। यह देश के लिये बहुत घातक है कि एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके हम आयें, अपने लोगों

से, वोटर्स से वादे करके आयें कि हम जा रहे हैं तुम्हारे प्रतिनिधि होकर इस संस्था में, और बाद में वहां जाकर बदल जायें। यह बहुत ही गलत बात है। यह तो वोटर्स को धोखा देना है कि जिनके समर्थन से चुनावों में जीते और उनके प्रतिनिधि होकर इस हाउस में आये, यहां आने के बाद दूसरी संस्था में पहुंच जायें। आज इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनको उसी दिन पार्टी टिकट दिया जाता है जब वह किसी संस्था में आते हैं; और जो उससे पहले कभी उस संस्था का नाम निशान तक नहीं जानते थे। बहुत से लोग यहां विरोधी पार्टियों में बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस टिकट के लिये अप्लाई किया, लेकिन जब उन्हें नहीं मिला तब वह दूसरी पार्टी में चले गये, जहां से उनको टिकट मिल गया और वह जीत कर आ गये। कितनी बार वह ऐसा कर चुके होंगे, यह किसी को पता नहीं है।

देश में इस प्रकार से कभी भी प्रजातन्त्र नहीं चल सकता। प्रजातन्त्र के लिये हमेशा यह खतरा रहेगा जब तक लोग एक नारा देकर आयें, एक सिद्धान्त लेकर आयें और उस पर अमल न करें। अपने देश में हम आज देखते हैं कि जिस तरह से दल-परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरह से हरियाना में हुआ है। एक आदमी ने पांच-पांच बार अपनी संस्था को बदला। इसका नतीजा यह हुआ कि आज हरियाना में प्रजातन्त्र टूट गया और दुबारा चुनाव होने जा रहा है। अगर यही चीज चलती रहेगी तो किसी भी प्रान्त में कभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पायेगी, और इसका नतीजा यह होगा कि जो वहां काम करने वाले कर्मचारी होंगे या दूसरे लोग जो होंगे उनको यह पता नहीं होगा कि कल क्या होने वाला है तथा कोई भी निश्चित पालिसी, कोई निश्चित कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो सकेगा। इसलिये बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति जिस किसी पार्टी के टिकट पर आयें, वह उसी में रहें, या फिर वह इस्तीफा देकर जायें संसद् से या विधान सभाओं से और दुबारा चुनाव लड़ कर आयें। मेरा मत है कि यह एक मौलिक बात है जिसको हमें ख्याल रखना चाहिये। लेकिन आज हम उसको देख नहीं रहे हैं। अभी देश में प्रजातन्त्र एक नया रूप ले रहा है। कोई गाय की पूंछ पकड़ कर, कोई भाषा के नाम पर, कोई और किसी प्रकार से और कोई जाति बिरादरी के नाम पर आते हैं।

अगर इसको रोकना है तो इसका एक ही तरीका है। वह तरीका यह है कि जो व्यक्ति एक बार किसी संस्था के नाम पर चुन कर आयें, वह ईमानदारी से उसमें रहें, और इसलिये इस ढंग का कोई नियन्त्रण जरूर होना चाहिये। हम सब लोग मिल कर विचार करें कि हिन्दुस्तान का वोटर, हिन्दुस्तान का प्रजातन्त्र, आज आप से इस बात की मांग करता है कि आप लोग यहां पर सिर्फ इसलिये न आयें कि यहां आकर दो-चार पार्टियों में बंट जायें। इस देश के भाग्य का निर्माण आप करते हैं, इसलिये आपके लिये आवश्यक हो जाता है कि हिन्दुस्तान को एक आदर्श की तरफ ले जायें, और यह तभी सम्भव है जब हम ईमानदारी से यहां बैठ कर सोचें कि यहां आने वाले जो लोग हैं वे भविष्य में जो संसद् सदस्य होंगे उनके लिये एक आदर्श बना कर जायें, और वह आज ही बन सकता है।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, म प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं। वह बड़े मौके पर इसको लाये हैं, और मैं उनका समर्थन करता हूं।

SHRI RAJARAM (Salem) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am really happy to see Mr. Venkatasubbaiah, the Secretary of the Congress Parliamentary Party, bringing a resolution to make a legislation to stop the defections taking place in the country. Sir, I am accepting this resolution with the amendment made by Mr. Madhu Limaye, because it is not so easy to make a legislation all of a sudden, without knowing the implications of it.

I am really happy because I know one cold proverb 'The devil quoting the scriptures' and just like that our Congress Parliamentary Party Secretary is bringing this resolution to stop the defections.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Have you read 'Paradise Lost' ?

SHRI RAJARAM : I know 'Paradise Lost' ; I know your last place too.

SHRI S. M. BANERJEE : Have you read 'Paradise Regained' ?

SHRI RAJARAM : This resolution is about defections. How do these defections take place ? Mr. Venkatasubbaiah is quoting from foreign countries he has travelled—unnecessarily. Who has created these defections in this country ? We are living in a democracy for the past twenty years—no doubt about it. While abroad we make tall talks that we are living in the largest democracy in Asia. But, what is going on inside this country ? Who is the real culprit ? Who is the real man ? Who is the criminal in this country ? Sir, I am sorry to say, but it is a fact that it is the Congress Party. From the year 1952 the defections were created by the Congress Party. There is no doubt about it. I can quote so many incidents from all over India. In Madras State also you know the history. In Madras State also there were defections. The people have not tolerated all these defections. There is no legislation necessary. Sixteen people crossed the floor in the Madras Assembly in 1952 when Mr. Rajaji was there. They enjoyed power for five years. Then when they turned to the electorate, all the 16 people were routed though they were Congressmen. No doubt about it. Even after that, there were defections inside the Congress Party. You know where the defections took place. It was inside the Congress Party. There were two cliques—the Kamaraj group and the Rajaji group.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Not of individual members. It was the defection of the whole Party.

SHRI RAJARAM : It was the defection of the whole Party, but the whole Party was routed.

SHRI K. S. RAMASWAMY : The Commonweal Party.

SHRI RAJARAM : The Commonweal and the Toilers Party lost all their seats.

SHRI K. S. RAMASWAMY : He may call it merger of parties.

SHRI RAJARAM : It was not merger ; I am sorry ; they were not merged. They were defectors ; they were first partymen, and then only the Common Weal Party merged with the Congress Party. That is the history. Even in the 1957 elections, in the Congress Party itself, there was a quarrel between the old Congressmen and the new Congressmen. Mr. Kamaraj had not given seats to the old Congressmen, and they formed a party.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : We accept our faults, you proceed further now.

SHRI RAJARAM : He must know the reason. He must know the disease ; otherwise, he cannot find the medicine and the remedy for it. It is the Congress Party which has brought the country to a collapse ; they are preaching morality but at the same time adopting all the immoral ways. They are talking of constitutional provisions and yet they are doing unconstitutional things. Even if they bring forward any legislation and pass it, who is going to follow it ? Is there any party which is going to follow it fully ?

One hon. Member mentioned about the code of conduct. What is the meaning of a code of conduct if people do not intend to follow it ? If a code of conduct is evolved, people must come forward to follow it and adopt it. Without that, what is the use of forming a code of conduct for the whole country ?

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Shri P. Venkatasubbaiah is very sincere about it.

SHRI RAJARAM : He may be sincere about it. So far as we are concerned we also thought about it.

My hon. friend from Haryana may be worried about the defections in his own State. But as far as my State, namely Tamil Nad is concerned, nothing can shake us.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : They had made Shri Adityan as the Speaker because he had defected to a party.

SHRI RAJARAM : He has joined our party.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : He has joined it or defected.

SHRI RAJARAM : No, before that, he had joined that party. He contested the election as a DMK member, got the verdict of the people and got elected, and then we elected him as the Speaker of the Assembly.

In Haryana there have been defections. But what is the real reason for defections ? The real reason is only to enjoy power and nothing but that. But who has given the lead for this ?

It is the Central Government which is responsible for this. The Central Government is not at all democratic. It has come forward to destroy the non-Congress Governments in the States. It has already destroyed the Haryana Government, and then it has destroyed the West Bengal Government also in an undemocratic manne While doing a crime on one side, they are also preaching morality to the nation on the other. When that is the case, why should they send eminent men like Shri Subramaniam to indulge in tall talks about the democracy inside the country ? Even in Kerala, what happened when the Namboodiripad Ministry was there before ? At that time, the present Prime Minister was the Congress president, and she went there and started an agitation under the auspices of the Vimochana Samara Samiti, and through her father she toppled the government which was there in power. At that time, in this very House, a sensible man like Shri Tyagi had got up and said 'You are going to ruin the Congress'. That has happened already in Kerala State.

So, let not my hon. friends think of eradicating defections with the aid of legislation. Let them consider what kind of activities they are indulging in today. Let them ponder over what kind of morality they are going to maintain in this country. Let them consider what kind of repsect they are going to have for the Constitution so as to maintain democacy in this country. If without having regard to all these things they went to bring forward legislation or evolve a code of conduct, what will be the use of it ?

Anyhow, as far as my party is concerned, we are not supporting the defections taking place anywhere. But the creators of these defections are the Congress Party. And yet just like the devil quoting scriptures. they have brought forward this resolution. Anyhow, I am supporting this resolution on behalf of my party.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri D. C. Sharma.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : What about the half hour discussion which was to be taken up at 5.30 ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have to have private members' business for 2½ hours. We had no lunch hour to day. Many members suggested to me about this. This will have to be postponed to the next time. But if the House desires to sit late and finish that also, I have no objection.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Let us dispose of this Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am entirely in the hands of the House. After we dispose of this, we shall take up the other item.

SHRI BEDABRATA BARUA : The usual procedure is to take up the half hour discussion at the scheduled time.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Are you going to take it up now or on Monday ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot promise about Monday. For that, he will have to write to the Speaker. It is for him to fix another date.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : What about the second Resolution ? Is it being taken up today ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It might be ust moved.

As it is, I will take up the half hour discussion at 6.20, after the 2½ hours of private members' business are over. Before that, let me dispose of this Resolution.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : This cannot be finished today. So many members want to speak on it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will try to finish it.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : It is a very important Resolution. It might be taken over to the next day.

SHRI SEZHIYAN (Kumabkonam) : 2½ hours time has been allotted to private members business. No other business can be taken up before we exhaust that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Members' anxiety is that at 6·20 it may not be touched.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Nobody will be here then.

SHRI SEZHIYAN : We cannot allow time to be taken from the allotted private members time. These 2½ hours must be devoted to this only. We have four resolutions. After the first, we should take up the second, then the third and then the fourth if we have time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall try to touch the second Resolution. Beyond that, I cannot say.

SHRI D. C. SHARMA : I congratulate Shri P. Venkatasubbaiah....

SHRI E. K. NAYANAR : What is the decision then ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : As I said we will have the full 2½ hours of private members business. After that, we shall take up the half hour discussion.. It was originally fixed at 5·30 P.M. but then we started very late with private members business.

SHRI E. K. NAYANAR : Then can we finally dispose of this Resolution ?

श्री मधु लिमये : आज यह चर्चा खत्म नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी इसको स्थगित करके आधे घंटे की बहस को आप लें अगले शुक्रवार के लिए तजवीज को रखा जाए। यह बहस दस मिनट में खत्म नहीं होने वाली है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have to take the sense of the House. Is he moving a formal motion ?

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस बहस को स्थगित किया जाए और आधे घंटे की बहस को लिया जाए।

SHRI SEZHIYAN : My submission is that no time should be taken from the allotted private members time for transacting other business.

SHRI D. C. SHARMA : Let me atleast speak one sentence that I may be in possession of the House.

SHRI SEZHIYAN : We should not make any inroads into the private members time. After disposing of private members business as scheduled, we shall take up the other item. Those who are interested will remain here for the half hour discussion.

SHRI RAJASEKHARAN (Kanakapura) : As Shri Limaye has suggested, this is a very important discussion. It can be continued the next day. You may take up the half-hour discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will take the sense of the House, because there are a number of people who want to participate.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : According to our rules, we cannot take up this resolution the next day. It will go to the next session.

MR. DEPUTY-SPEAKER : A part discussed resolution will come up after a fortnight.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : According to the rules, 2½ hours must be given to private members' business today. The time is not yet over. How can we take up another business during the time allotted to private members' business. It cannot be. It would be irregular.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: It has been said that the half-hour discussions should be taken up. There is a note in the Order Paper which reads : "To be taken up at 5.30 P.M. or as soon as the preceding items of business are disposed of, whichever is earlier." You are not encroaching upon some other business.

MR. DEPITY-SPEAKER : It also says "From 3 P.M. to 5.30 P.M.", but that was exceeded.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU It is not my mistake. This must come at 5.30.

SHRI D. C. SHARMA : I will submit only one sentence and sit down.

Shri Venkatasubbaiah has brought forth a baby in the form of this resolution which is being blessed by the entire House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, your sentence is complete, because he is insisting.

I have gone through the Order Paper. Normally we give 2½ hours. Because we have not taken even lunch, I realise your difficulties. Therefore, I will take the sense of the House and dispose of it. What is the sense of the House.

श्री मधु लिमये : इनको मौका दिया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then, we will postpone the discussion to the next non-official day.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : What sense have you taken ? Only one member has said. The sense of the House is that the discussion must continue.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will take once again. If you want, I will even take a vote.

SHRI S. M. BANERJEE : Before you give a ruling, I have a submission. This is the first time that the Treasury Benches, especially Mr. Shukla, the Minister in charge of this particular resolution, is insisting that it should he passed today. This matter is very important. When Mr. Limaye, myself or anybody else is suggesting that the half-hour discussion should be allowed, it is not to evade or avoid the issue. We want an exhaustive discussion on this, and there are many people who want to speak on this. Giving five minutes to each today will not help. I must congratulate Mr. Venkatasubbaiah who has brought this resolution at least for one particular portion of it. But there are other aspects of it. Today they want to pass this resolution and to make the people, force them, before the 29th– the people who may defect again to the United Front, guilty of it. I see there are reasons for it ; there are reasons for them to pass this resolution. Were they ever serious about such resolutions up to this time ? Now, today they are serious, when they want to embrace P. C. Ghose and also Humayun Kabir. Therefore, I suggest that the half-an-hour discussion should be allowed and this discussion be postponed to the next day.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall read out the rule to you, and you help me. The rule runs like this :

> "The last two and a half hours of a sitting on Friday shall be allotted for the transaction of private members' business...."

Because of certain difficulties, we have come to this pass. In the Order Paper it is stated that the half-hour discussion would be taken up at 5·30. It is stated very clearly. In such a situation, if you want more time let us take the sense of the House. I am inclined to extend the time. That is not the question before me. The question is whether we should postpone this discussion of the non-official resolution.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We have to spend two and a half hours on the private Members' business. (*Interruption*)

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : You may be pleased to give time for the half-hour discussion. After the half-hour discussion is over, you may give them time to continue the private Members' resolution. I have no objection. Now, the half-hour discussion should be taken up. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Well, I cannot deprive him of that opportunity. He is waiting.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It would be against the rules to do that. The Chair has no authority to do it.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : After the half-hour discussion, you can continue the private Members' resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I suggest is, only about 25 minutes remain. So, if the House desires—I have the power to extend the time with the sense of the House—the half-hour discussion can be taken up at 6.20. Let Mr. Naidu wait.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : The half-hour discussion should be taken up at 5·30. After that, the non-official resolution can be continued. The opinion of the House is to have the half-hour discussion right now.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Unless the rules are changed, you cannot do it. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. Please sit down.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : If the half-hour discussion is not taken up now, how can we get another chance ? This is a most important thing. (*Interruption*)

SHRI S. M. BANERJEE : If you do not get a chance, cross over to this side.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right ; let us finish this discussion within the next 20 minutes. Then, let us see about the half-hour discussion and extension of the time. Mr. D. C. Sharma may continue his speech.

SHRI D. C. SHARMA : Now, Sir, the question is this. Are we going to support political adventurism, are we going to support political opportunism, or are we going to support political stability and political idealism ? This is the only problem. I think nobody would deny that in a democracy, we want stability and security. We want persons who do not change their colour after three or four or five days. We do not want political chameleons. We want political adults, mature persons, who would stick to a party, stick to the principles of that party and stick to the policies of that party. That is what we want. I agree that the code of conduct will not be of any help. We have had so many codes of conduct. The person who used to make this code of conduct is himself gone. It was said by some cynic that there was only one Christian in the world and he was hanged on the cross. The same thing is true about the code of conduct also. Therefore, I do not think these codes of conduct mean anything. What conventions can you have in this House for people who create trouble for everybody who speaks ? What precedents can be created here ? You cannot do anything.

The only thing that can be done to solve the problem is that in the Constitution of India, there should be the principle of recall, as it was put in the Constitution of China by one of the maturest thinkers in the world, Dr. Suh-yat Sen. Of course, that Constitution has been done away with in China now. So, a person who changes his political colour should be recalled and be asked to fight the elections over again.

SHRI RAJARAM : It is not necessary to have recall. You accept the *status quo* of 1967 and everything will be set right.

SHRI D. C. SHARMA : I do not want to accept the *status quo* of 1967 because I hope to win the elections in Madras in 1972.

SHRI RAJARAM : Are you defecting and joining us ?

SHRI D. C. SHARMA : I will, fight on behalf of the Congress and win the seats for the Congress. (*Interruption*). Sir, I was saying that only the principle of recall can solve the problem. It is the principle that has been enshrined in the Constitution of the Soviet Union. It is the principle which will be embodied in other democratic countries also if what is happening in India happens in those countries also. Therefore, a committee should be appointed, which should say that the principle of recall should be embodied in the Representation of the People Act. That is the only way to solve the problem. Our codes of conduct and conventions will be observed more in the breach than in fulfilment.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा के सामने जो प्रस्ताव हमारे कांग्रेस के मित्रों ने रखा है उसके बारे में उसूलन मुझे कोई विरोध नहीं है । मगर में जब इस प्रस्ताव की तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रस्ताव करके या कानून बना कर देश में मौजूदा जो हालत है उसको हम तब्दील नहीं कर सकते । जो भी यहां हुआ है या दूसरी विधान सभाओं में हो रहा है वह कुछ वहीं तक ही महदूद नहीं है । वह तो एक सिम्पटम है । अपने देश में हमारे जीवन में जो पतन हुआ है उसका वह सिम्पटम है, एक लक्षण है और उस को अगर हमें दूर करना है तो कोई एक कानून बनाने से यह काम नहीं होगा । मुझे याद है कि जब यहां एक सवाल हमारे गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या आप इस तरह का कोई कानून बनाना चाहते ह तो उस वक्त उन्होंने यह जवाब

दिया, वह यह कहते थे कि कोई कानून से यह काम बनेगा ऐसा तो हमें नहीं लगता है। तब हमने यह पूछा था कि आप ठीक कह रहे हैं। अगर सिर्फ कन्वेंशन भी हम बनावें तो उससे भी काम नहीं होना है और वह हमारे गृह मंत्री का खुद का अनुभव था इसलिए भी हमने उनको टोका और कहा कि आपने महाराष्ट्र में हम सब लोगों के साथ बैठ कर एक ऐग्रीमेंट हम लोगों के साथ किया था और उस एग्रीमेंट में हम लोग यह कह रहे थे जो आज कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं। 1960 की बात है। हम लोग यह कह रहे थे कि यह दल-बदल जो हो रहा है वह हम नहीं चाहते, इसलिए चलो हम लोग सब पार्टियां इकट्ठी बैठ जाएं और यह कन्वेंशन करें और कन्वेंशन भी छोटा सा था। हम यह कह रहे थे कि किसी आदमी को आप फ्लोर क्रास करने से तो रोक नहीं सकते हैं लेकिन कम से कम इतना तो करो कि अपनी पार्टी में उसको दाखिल मत करो। इसमें तो कुछ फर्क है या नहीं ? समझो कि कोई आदमी वहां से यहां आया या यहां से वहां गया तो हम उसको अपनी पार्टी में कैसे ले लेते हैं ? · · · **(व्यवधान)** · · · · · बहुत उदाहरण हैं। शुरू से देखा जाय तो वह भी एक महाभारत बन जायगा।

श्री मधु लिमये : यह बैठे हैं गुरुपदस्वामी जी।

श्री एस० एम० जोशी : अशोक मेहता का भी यहां जिक्र हो रहा था मगर मुझे यह · ·

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : What did Shri Asoka Mehta say ? He read out the letter yesterday.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is very clear.

· **श्री मधु लिमये** : वह क्या है ? आप उसको समझते भी हैं ? पत्र मैंने लिखा है। वह हमारे दल में रह कर कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ सहयोग करो तो मैंने कहा कि वहां जा कर बैठो।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I am only saying one thing. Yesterday Shri Asoka Mehta read out the letter which Shri Madhu Limaye wrote to him in which he said that he could also take with him people who think like him.

श्री मधु लिमये : मैं जवाब दूंगा उसका।

श्री एस० एम० जोशी : आपको इतना भी सब्र नहीं है अशोक मेहता के बारे में मैं क्या कह रहा हूं, यह आप जरा सुनते तो शायद आपको उठने का मौका ही नहीं मिलता। मैं यह कहने जा रहा था कि बार-बार हमारे मित्र अशोक मेहता का जिक्र यहां होता है। मगर अशोक मेहता ने हमारी पार्टी को छोड़ा तो वह कोई यहां हमारी पार्टी की तरफ से आये हुए सदस्य नहीं थे, यह आप सब लोग भूल जाते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं नहीं भूला।

श्री एस० एम० जोशी : आप नहीं भूले हैं लेकिन यह लोग यह नहीं समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अशोक मेहता ने जो कुछ बुरा काम किया है तो यह किया है कि अपने दूसरे मित्रों को फ्लोर क्रास करने के लिए कहा है। वह खुद फ्लोर क्रास नहीं किए।

तो मैं यह कह रहा था कि क्रास फ्लोर का भी हमने इतना विरोध नहीं किया। लेकिन कांग्रेस में उनको क्यों लेते हैं ? आप बोले कि फिर क्या करेंगे ? तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंट रखें। यहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट की भी कोई हैसियत है या नहीं। जब हम यह कहते हैं कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलने वाली है तो हम सब लोगों ने इस चीज को मान लिया है कि पार्टियां रहनी चाहिएं और सिर्फ इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे तो कैसे हुकूमत चलेगी ? अगर इंडिपेंडेंट लोग यह कहें कि नहीं, दूसरी पार्टियों को जितना अधिकार है वह हम सब लोगों को होना चाहिए तो वह कभी हो नहीं सकता। इसलिए जब कोई आदमी फ्लोर क्रास करता है तो उसको अपनी पार्टी में दाखिल मत करो और

[श्री एस० एम० जोशी]

वह कन्वेंशन वहां मान लिया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने यह कहा, मुझे याद है, हमारे मित्र मधु लिमये ने उनको याद दिलाया उस रोज, चव्हाण साहब जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने उस वक्त हम लोगों को यह कहा था कि अभी महाराष्ट्र में दल-बदल का ट्रांजीशनल पीरियड है, टर्मायल है, पोलिटिकल लायल्टीज़ जो हैं, राजनीतिक निष्ठाएं जो हैं, वह बदल रही हैं और जब बदल रही हैं तो लोगों को अपना दल बदलने का अधिकार देना चाहिए। यानी क्रास-फ्लोर का अधिकार देना चाहिये—यह हमारे गृह मंत्री की राय उस वक्त थी। यद्यपि हमारे मित्र मधु लिमये राज़ी नहीं हुए, लेकिन मैं राज़ी हो गया और जब यह प्रश्न पूछा कि क्या 1962 तक यह दल-बदल ठीक हो जायगा, क्योंकि 1960 में अगर दल-बदल हो जाता है और आप उसको मन्ज़ूर कर लेते हैं, तो क्या 1962 तक स्टेबिलाइज़ नहीं होगा? 1962 तक जब स्टेबिलाइज़ हो जायगा, तो क्या आप वायदा करते हैं कि 1962 के चनाव में जो चुने जायेंगे, वे अगर दल-बदल करेंगे तो उसको आप नहीं लेंगे? उन्होंने उसको मान लिया।

18 hrs.

एक माननीय सदस्य : किसने माना?

श्री एस० एम० जोशी : गृह मंत्री ने माना। उसके बाद क्या हुआ? हमने उनसे पूछा कि जब आपने ही इसको तोड़ दिया तो कन्वेन्शन कैसे बनायेंगे, आप ही ने कन्वेन्शन बनाई थी और आप ही उसको तोड़ रहे हैं—हमने तीन, चार, पांच आदमियों के नाम गिनवाये। अगर सत्ता के लोभ से किसी आदमी को लेते हैं या हुकूमत बनाने के लिये किसी को लेने जा रहे हैं तो भी मैं समझ सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास तो थम्पिंग मैजोरिटी है, तब फिर आप दूसरे आदमियों को प्रलोभन देकर क्यों लेते हैं? मुझसे उन्होंने खुद पूछा था, वह महाराष्ट्र के चीफ़ मिनिस्टर थे और मैं वहां लीडर आफ़ अपोज़ीशन था, मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारी पार्टी के कई आदमी आने जा रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा—मेरी राय है कि आपको लेना हो तो लो, हम किसी को कैसे रोकेंगे, लेकिन उनको पांच साल तक क्वारनटाइन में रखो, फिर मैं देखूंगा कि हमारी पार्टी से कितने आदमी जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों को मंत्री बनाया—तो यह सिलसिला चला।

अब यह बात सही है कि हम लोगों को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम इनके ऊपर रोक लगा सकें। कोई कानून बनायेंगे सदस्य की सदस्यता रद करेंगे और वह फिर दोबारा चुनाव से आ गया तो फिर उसमें हमारी हंसी होगी। जैसे हमारे महाराष्ट्र असेम्बली में एक आदमी के खिलाफ़ कुछ कार्यवाही हो गई, अनुशासन की कार्यवाही, उसको बरतरफ़ किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ—वह दोबारा चुनाव में खड़ा हो गया और थम्पिंग मैजोरिटी से दोबारा चुना गया—ऐसी कोई हंसी हमारी नहीं होनी चाहिए। हमने उस वक्त पूछा कि आपने उस को निकाला, लेकिन आप उसको दोबारा खड़ा होने से डिस्क्वालिफाई नहीं कर सके, इसी तरह से वह दोबारा खड़ा होगा और चुना जायगा, तब कितनी हंसी होगी। इसलिये इसके बारे में कुछ कन्वेन्शन रखनी होगी, बिना कन्वेन्शन के, केवल कानून से काम होने वाला नहीं है और यह तब ही सम्भव है जब कि कुछ सामंजस्य हो।

अभी प्रधान मंत्री जी ने कुछ हंसी उड़ाई—जब प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की है—और कहा कि हम लोग थोड़े ही विरोधी दल को बनायेंगे। मुझसे कई दफा कहा गया—जब श्री पत्तम थानु पिल्ले हमारे से चले गये, मुझ से कांग्रेस वालों ने कहा कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, तो हम क्या करेंगे। तब मैंने जवाब में कहा कि उसका मतलब यह नहीं है कि आपको

एडल्ट्री का परमिट मिल गया है, आप उनको क्यों लेते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था । लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया और उसका क्या नतीजा हुआ—अब यह ज़हर अपने पूरे बाडी-पोलिटिक्स पर आ गया है और उसको भुगत रहे हैं ।

जब हम चुनाव के बाद पहली दफा यहां आये तो राष्ट्रपति के भाषण में हमको डेमोक्रेसी की वाइटैलिटी बताई गई । अगर आप सचमुच उसको मानते तो मैं कहता कि आपस में बैठ कर कुछ चीजों के बारे में हमको समझौता करना चाहिये था, लेकिन मैंने समझौते की स्प्रिट नहीं देखी । जैसे डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, उस वक्त भी हमारा समझौता नहीं हुआ, फिर प्रेजिडेन्शियल इलैक्शन की बात आई—मैंने खुद प्रस्ताव रखा डा० ज़ाकिर हुसैन साहब के बारे में । लेकिन कांग्रेस की तरफ से हम को कभी बुलाया नहीं गया । जब विरोधी दल वालों को बुलाया तो उनको चेलेन्ज दिया गया कि तुम सर्वसम्मति से नाम पेश करो । जब सर्वसम्मति से नाम आ गया, उसके बाद भी समझौता करने की कोशिश की गई कि डा० ज़ाकिर हुसैन साहब का नाम हम मानते हैं, लेकिन क्या वाइस-प्रेज़िडेन्ट के लिये आप हमारा नाम मानेंगे—उसको भी नहीं माना । इस प्रकार ऊपरी बात करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिये कुछ बुनियादी बातें सोचनी होंगी ।

मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमारे देश में जनता कुछ सोच रही है । मैं जानता हूं कि जनता वायलेन्स नहीं चाहती है, लेकिन जनता यह भी देख रही है कि हमारे राज्य-कर्ताओं का ध्यान गरीबों की तरफ़ बिलकुल नहीं है, चाहे हमारी पार्टी का ही राज्य क्यों न हो, जनता देखती है कि हमारे बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है । हमारे घर में एक नौकरानी है—आप देखें, कैसी यहां की प्रवृत्ति है । उसका पति नैपाल चला गया था और वहां से बाढ़ के कारण चार दिन लेट आया । वह सी० पी० डब्लू० डी० में डेली वर्कर था, चार दिन लेट आने की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया । जब मैंने उसके एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर को खत लिखा कि ये संक्मस्टान्सेज़ उसके बियांड कन्ट्रोल थे, उसको आप कैसे हटा सकते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया । उसके बाद जब मैंने मिनिस्टर साहब से कहा तो उन्होंने बुलावाया और मुझसे कहा कि मैं करूंगा, लेकिन जब वह आदमी जब किसी अधिकारी के दफ्तर जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम एम० पी० के पास चले गये, अब एम० पी० ही तुमको नौकरी दिला सकता है और हमारे मिनिस्टर साहब अभी तक उसमें कुछ नहीं कर पाये हैं—यह हालत आज गरीब की है । ऐसी हालत में जो अच्छा होता है, बुरा होता है, वायलेन्स होता है, नान-वायलेंस होता है, वह बेचारे क्या करें, उनको खाना तक नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है । आज हमको सोचना चाहिये कि हम गरीब के लिये क्या करें, ये जो सुपरफीशियल ऊपरी बातें हैं, प्रस्ताव है, यह इलाज नहीं है, ये तो जैसे सरदर्द की दवा खा लेते हैं, वैसा इलाज है, इसके लिये हमको अन्दरूनी दवा लेनी चाहिये ।

मैं आपका असूलन समर्थन करता हूं, फिर भी जो कमेटी बैठेगी, उस कमेटी को इसके बारे में भी सोचना होगा । केवल लेजिस्लेशन से यह काम होनेवाला नहीं है, उससे तो हंसी होनेवाली है, ऐसा खतरा मुझको दीखता है ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, संसार के सबसे बड़े लोकतन्त्र में इस समय ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जिससे लोकतन्त्र की सफलता और असफलता का प्रश्न हमारे देश के सामने है । यह जो स्थिति आई है, उसके बारे में सर्व-पक्ष की तरफ़ से, हर दल की तरफ से यह माना जा रहा है कि यह परिस्थिति ऐसी है, जिसके कारण देश की प्रगति रुकती है, गवर्नमेन्ट की स्थिरता जाती है और इस स्थिरता के जाने की वजह से न केवल राजनीतिक वायुमण्डल, वातावरण खराब होता है, बल्कि उससे देश की जनता का

[श्री विश्वनाथ राय]

जो कार्यक्रम है, वह भी रुकता है । आप देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब बंगाल की जो स्थिति है । उस स्थिति में जो कार्यक्रम पहले चला, प्लान का जो काम पहले चला, वह यह दल बदलने के कारण, सरकारें बदलने के कारण उनकी स्थिति जो है, वह भी खराब हुई है । जनता के लाभ के लिये जो काम हो रहे थे, उनमें रुकावट पड़ गई है ।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां कई दल आपस में, जो आपस में सिद्धान्तिक आधार पर बिलकुल विरोधी थे, मिल कर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, जब कि उनके प्रोग्राम में, उनके कार्यक्रम में, उनकी प्लान योजना में, उनके मौलिक दृष्टिकोण में अन्तर है ....

18·09 hrs.

[SHRI S. M. JOSHI *in the Chair*]

श्री मधु लिमये : न्यूनतम कार्यक्रम बना है, उस पर सब एक राय हैं ।

एक माननीय सदस्य : अधिकतम कार्यक्रम होना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं मधु लिमये जी को बता दूं कि मेरे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है । एक तरफ जनसंघ की एक आवाज़ आती है, दूसरी तरफ एस० एस० पी० की तरफ से दूसरी आवाज आती है, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से तीसरी आवाज आती है, जन-कांग्रेस की तरफ़ से कुछ और ही बात आती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यही तो डेमोक्रेसी है ।

श्री विश्वनाथ राय : लेकिन वे पार्टियां जो उस सरकार में शामिल हैं, उनके मंत्री और उनके लीडर एक दूसरे के कार्यक्रम के सम्बन्ध में विरोध करते हैं । यह ऐसी बात है जो कार्यक्रम के सम्बन्ध में, आर्थिक कार्यक्रम के बारे में है । राजनीतिक बातें छोड़ दें, राजनीतिक दृष्टिकोण अलग रख दें, लेकिन जो एक पब्लिक वर्क है, जो कार्यक्रम आज था आपका, आर्थिक कार्यक्रम, जो जनता के लाभ का कार्यक्रम है उसमें एक दूसरे का विरोध हो रहा है । यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है । देश की उन्नति के लिए हानिकारक है । इस बात को हम मानते हैं कि इसका प्रभाव न सिर्फ अपने देश पर बुरा पड़ने वाला है बल्कि उसका प्रभाव एशिया के लोकतंत्र पर या संसार के उन अनेकों देशों पर भी जो अभी हाल में स्वतंत्र हुए हैं। वहां पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सब दल इस समय यह मानते हैं कि इस तरह का दलबदल खराब चीज है । विरोधी दल वाले यह भी कहते हैं कि यह दल कांग्रेस ने शुरू किया, एक पार्टी से निकल कर दूसरी पार्टी में मिलने की बात कांग्रेस ने शुरू की । इस तरीके से बिलकुल विरोधी सिद्धान्त के आधार होने पर भी फिर मिल कर गवर्नमेंट चलाने का उनका यह तरीका है । वह राजनीतिक सत्ता के लिए है । यहां कांग्रेस को दोष देते हैं, स्वयं अपने सिद्धान्तों को तिलांजलि देकर उस राजनैतिक सत्ता के लिए वे लोग ऐसा समझौता तो करते हैं लेकिन वह समझौता चल नहीं पाता है । वे समझौते आज टूट रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल की घटनाएं इस बात का सबूत हैं । वे आपस में सैद्धान्तिक सामंजस्य करने की तो कोशिश करते हैं परन्तु विरोधी विचार होने पर वे एक साथ सोच नहीं सकते हैं । वे चाहे आर्थिक मामलों में हो या चाहे राजनैतिक मामलों में हो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं । ऐसी हालत में वे लोकतंत्र के लिए एक संकट पैदा हो जायेंगे । इस तरीके से अस्थिरता अगर रही, आर्थिक मामलों में इसका असर पड़ता रहा तो देश इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा । साथ ही जो भी सरकार होगी अगर वह 4–6 महीने चली भी तो भी उसमें क्षमता नहीं रहेगी । इससे दलबदल से देश की तरक्की के लिए जो एक अच्छी सरकार बनाने का दावा किसी ने किया है उस प्रयोग को आगे कायम न रखा

जाय । इसलिए मैं इस समय बधाई देना चाहता हूं अपने साथी श्री वेंकटासुब्बया को कि वह ऐसा प्रस्ताव लाये और फिर मैं इस सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं । यह सरकार भी इस तरीके के परिवर्तन को जो परिवर्तन राजनीतिक भी नहीं है कहीं कहीं पर राजनीतिक स्वार्थ या आर्थिक स्वार्थ के भी कारण हो रहा है, नहीं चाहती है । उसको रोकने के लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए । साथी कहते हैं जोशी जी ने कहा कि कानून बनाने से क्या होगा ? अब जो इतने दल बदल हो रहे हैं अगर उनमें इतनी राजनीतिक चेतना होती, कुछ नैतिकता व जिम्मेदारी का खयाल होता तो वह इस तरह से दल बदलते ही नहीं । मैं इसलिए कानून बनाना अनिवार्य समझता हूं । यह प्रस्ताव जो सदन के सामने है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद आशा है कि गवर्नमट इस तरीके की बात को रोकेगी। यह दल बदल की चीज़ तो रोकी ही जानी चाहिए । देश में यह दल प्रणाली स्वीकार की गई है । दल के नाम पर जनता के सामने अपने-अपने प्रोग्राम, बड़ी-बड़ी योजनाएं आती हैं । दल उनका ऐलान करके जनता से वह वोट लेते हैं लेकिन इस तरीके से वह दल बदल कर दूसरे किसी दल में चले जाते हैं तो उस जाने का मतलब यह होता है कि जनता से जो वायदा किया था जनता को जो उन्होंने विश्वास दिलाया था उसके बिलकुल प्रतिकूल जाते हैं और इस तरीके से जनता को धोखा देते हैं । जब अपने विधान में दल बदल करने वाले मैम्बर्स को निकाल करने का अधिकार नहीं है, कानून नहीं है ऐसी हालत में अब समय आ गया है कि इस बीमारी को रोकने के लिए आप कोई कानून पास करें । यह बीमारी धीरे-धीरे फैलती जा रही है और आवश्यकता है कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाय और इसके लिए कोई कानून आप पास करें या विधान में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसे भी करें ।

इस अवसर पर मुझे स्वर्गीय श्री आचार्य नरेन्द्र देव का स्मरण हो आता है । उन्होंने जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने पुनः अपना चुनाव करवाया था भले ही नतीजा कुछ भी क्यों न हुआ हो । ऐसा करके उन्होंने लोकतंत्र के लिए एक अच्छी व स्वस्थ परम्परा की नींव डाली थी । वह निश्चित रूप से एक अच्छी परम्परा थी । उस तरीके की परम्परा पार्टियां कायम करेंगी या नहीं करेंगी ? आज तो हमारे विभिन्न दलों में इतना राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ आ गया है कि मुझे आशा नहीं है कि इस तरह की परम्परा जो एक स्वस्थ और अच्छी परम्परा थी उसे फिर से वे कायम करेंगे । मुझे इसमें संदेह है । इसलिए मैं इस राय के पक्ष में हूं कि प्रस्ताव पास करने के बाद सरकार कोई नियम बनाये या आवश्यक हो तो उसके लिए संविधान में संशोधन करे जिससे इस तरीके से रद्दोबदल, जो कि जनता के साथ विश्वासघात होता है, वह रुके । जनता को कम से कम 5 वर्ष तक के लिए यह यकीन रहे कि जिस कार्यक्रम और चुनाव ऐलान को लेकर पार्टी ने इलैक्शन लड़ा और उसके प्रतिनिधि यहां पार्लियामेंट या विधान सभाओं में बैठते हैं उनके द्वारा पांच साल तक काम होगा और उससे देश की तरक्की होगी । इसलिए मैं यह जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय बल्कि मैं चाहता हूं कि जो कमेटी इसके लिए बने वह नियम आदि बनाये । इससे सरकार का कानून बनाने से रुकावट नहीं होगी । यह अच्छा होता कि कानून बनने में सब दल मिल कर इस काम को करते । आज हम देख ही रहे हैं कि राजनैतिक स्थिरता कायम नहीं रह पा रही है और दलबदल के कारण गवर्नमेंटें बदल रही हैं भले ही वह किसी की क्यों न हो । यह जो आज हर एक दल में अस्थिरता है यह कोई एक स्वस्थ चिन्ह नहीं है । इसी के कारण कहा नहीं जा सकता कि अभी एक, दो हफ्ते के अन्दर और कहां-कहां इस फेरबदल के परिणामस्वरूप गवर्नमेंट बदलेगी । जैसा मैंने पहले कहा यह दलबदल की बीमारी लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और मैं

[श्री विश्वनाथ राय]

चाहूंगा कि इसके लिए सभी राजनैतिक पार्टियां अपने लिए आचार संहिता बनायें और सरकार को जो इसके लिये काम करना हो और कदम उठाना हो वह भी वह करे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री वेंकटा-सुब्बया लाये हैं मैं उसकी भावनाओं का समर्थन करता हूं। मुझे खुशी है कि कम से कम कांग्रेस में इतने साल रह कर भी उन्होंने सोचा कि यह दल बदलना जो है वह बुरा है। दल बदलने के बारे में काफी निन्दा की गई लेकिन आंखों से हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस से जो कोई दल बदल कर दूसरे दल में जाता है उसको फूलों के हारों से जनता द्वारा स्वागत होता है और आज भी वह हो रहा है लेकिन इसके विपरीत अगर कोई दूसरी पार्टी वाला अपनी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में चला जाता है तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं कि वह संसदीय होगा या नहीं, मैंने यह देखा कि जो कांग्रेस से निकल कर आया तो उसका स्वागत करने के लिए 15, 15 हजार लोग फूल मालाएं लेकर खड़े हुए लेकिन इसके विपरीत यदि कोई एक, आध कहीं किसी दल से निकल कर कांग्रेस में गया है तो उस व्यक्ति का बजाय फूलों की मालाओं से जूतों की माला से स्वागत हुआ है।

माननीय सदस्य ने जो यह डिफैक्शंस की बात कही वह चाहे किसी की ओर से हो मैं उसे एक अच्छी चीज नहीं समझता हूं लेकिन डिफैक्शन में भी साफ़ फर्क आपको आज देखने को मिलता है क्योंकि यह जूतों के हार और फूलों के हार में फर्क तो होता ही है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज बुरी है। लेकिन लोगों का खयाल है कि दल-बदल करना फिर भी अच्छा है बजाय इसके कि कांग्रेस के दलदल में चला जाय क्योंकि आज आम लोग कांग्रेस से ऊब चुके हैं। वह कांग्रेस से इतना घृणा करने लगे हैं कि हमारी गर्दन भी शर्म से झुक जाती है कि आज लोग कांग्रेस से इतने नाराज क्यों हैं। कांग्रेस आखिर अपने आपको क्यों नहीं इम्प्रूव करती है ? वह अपने आप को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करती है ?

जब यह प्रस्ताव आया तो बड़ी-बड़ी बातें हम लोगों ने शुरू कीं। श्री अशोक मेहता के बारे में बात की। कल उन्होंने पत्र सुनाया जिसमें मधु लिमये जी ने तारीफ की है लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आखिर किन वजूहात से मधु लिमये जी ने उनको पत्र लिखा था ? अशोक मेहता जी चले गये उनको गले से लगा लिया गया। मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना पड़ता है कि जब ऐसा प्रस्ताव आता है तो सरदार हुक्म सिंह अकाली दल के यहां मैम्बर थे और मैंने खुद उन्हें अकाली दल में देखा। सन् 1957 में भी थोड़े दिन वह उसमें रहे लेकिन उसके बाद अचानक मालूम हुआ कि वह कांग्रेस में चले गये उपाध्यक्ष हो गये लोक सभा में और अब आज वह गवर्नर हो गये। यहां यह समझ लिया जाय कि कांग्रेस रूपी यह जो मारीच है वह रामायण का मारीच है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य का कथन सही नहीं है क्योंकि सरदार हुक्म सिंह कांग्रेस में आकर लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं हुए बल्कि उपाध्यक्ष होने के बाद वह कांग्रेस में आये थे।

श्री स० मो० बनर्जी : एक ही बात है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बहुत फर्क है।

श्री स० मो० बनर्जी : हिन्दी में कहावत मशहूर है और वह मुझे इस वक्त याद आ रही है कि खसम किया बुरा किया, करके छोड़ दिया और भी बुरा किया ...

सभापति महोदय : अब आध घंटे का डिस्कशन शुरू होता है। माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रक्खें।